

Central Zonal Bench, Bhopal
Original Application No.166/2023(CZ)

In the Matter of:-
Deepak Kumar Applicant
Versus
State of Rajasthan & ors Respondent
Index

S. No.	Particulars
1.	Action Taken Report in the matter of Hon'ble NGT, Central Zonal Bench, Bhopal OA No.166/2023(CZ) in the matter of Deepak Kumar Vs State of Rajasthan & ors
2.	Annexure-I: Hon'ble National Green Tribunal, Central Zone Bench, Bhopal order dated 08.11.2023 in the matter of OA No.166/2023 (CZ) "Deepak Kumar Vs. State of Rajasthan & Ors
3.	Annexure-II: Rajasthan State Pollution Control Board (RSPCB) letter dated 02.01.2024 regarding nomination of Sh. Arvind Kumar Agarwal, Regional Office, Jaipur (South) as a member of the committee and as Nodal Officer on behalf of RSPCB
4.	Annexure-III: Letter dated 16.01.2024 regarding nomination of SDO, Bassi as a representative of the District Collector.
5.	Annexure-IV: State Government circular dated 05.07.2021
6.	Annexure-V: State Government order dated 29.01.2003 and typed copy of order.
7.	Annexure-VI: Photographs of joint committee visit
8.	Annexure-VII: Photograph of Temple
9.	Annexure-VIII: Photographs of Mining Pits
10.	Annexure-IX: Copy of FIR No. 1140 against Ramesh Son of Ramkishan Gurjar.

11.	Annexure-X: Details of action taken against illegal mining
12.	Annexure-XI: Copy of seizure report of illegal minerals.
13.	Annexure-XII: Copy of FIRs lodged against illegal minerals.
14.	Annexure-XIII: Copy of FIR lodged against Ramkishan Gurjar.
15.	Annexure-XIV: Copy of notices issued by Tehsildar Bassi for illegal storage.
16.	Annexure-XV: Copy of order dated 09.02.2024 regarding deployment of Home Guard.
17.	Annexure-XVI: Copy of minutes of meeting dated 08.02.2024
18.	Annexure-XVII: Copy of Hon'ble High Court order dated 17.01.2024

Factual and Action Taken Report of the Joint committee constituted by Hon'ble NGT, Central Zone Bench, Bhopal, order dated 08.11.2023 in OA No. 166/2023(CZ) in the matter of Deepak Kumar Vs State of Rajasthan& ors

1. Background:

The Hon'ble National Green Tribunal, Central zone Bench, Bhopal vide its order dated 08.11.2023 in the matter of OA No.166/2023 (CZ) "Deepak Kumar Vs. State of Rajasthan & Ors directed as (the copy of order dated 08.11.2023 is enclosed at **Annexure-I**):

"we deem it just and proper to call a report on the matter in issue in present original application, form a joint committee consisting of one representative from District Magistrate, Jaipur and one representative from State pollution control board, Rajasthan. The Committee is directed to visit the place and submit the factual and action taken report within six weeks. The State PCB will be the nodal

agency for coordination and logistic support. Applicant/Registry is directed to supply the copy of the application and relevant documents to the Committee and Respondent(s) within a week. The report in the matter be filed by the Committee through email at ngtczbbho-mp@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image Pdf."

In compliance to the Hon'ble NGT Order dated 08.11.2023, Rajasthan State Pollution Control Board nominated Arvind kumar Regional Officer RSPCB, Jaipur south as a member of committee and also appointed Nodal officer on behalf of RSPCB vide its letter dated 02.01.2024 (**Annexure-II**), and District Collector has nominated Sub Division Officer(SDO),Bassi as a representative of the District Collector as well as Mining Engineer, jaipur was also appointed as a special invitee vide its letter dated 16.01.2024 (**Annexure-III**).

the site has been visited by joint committee on date 18-01-2024.A progress report was filed on date 19.01.2024 with the request to grant additional 15 days' time for report preparation and submission.



3



It is also humbly submitted that State Government vide Circular dated 05.07.2021 had already assigned roles and responsibilities of departments i.e. Department of mining, Department of Forest, Revenue, RIICO Ltd etc. in the matter of illegal mining (Copy of circular dated 05.07.2021 is annexed and marked as **annexure -IV**).

It is also pertinent to mention that State Government vide order dated 29.01.2003 had constituted District level committee under chairmanship of District Collector to check the illegal mining. Copy of order is annexed and marked as annexure-V.

2. Factual Status of Illegal mining at khasara no 241 and 242 at village Ghata observed during joint visit:

Joint committee comprising of SDO Bassi, ME jaipur and Regional officer (RSPCB) visited the site on 18.01.2024 in presence of applicant shri Deepak kumar (Photographs are annexed and marked as annexure- VI)

Following are the major observations

1. No mining leases has been sanctioned in the said khasras by the department of mines.
2. No il-legal mining and blasting was seen during inspection. No heavy machinery was observed at site.
3. Temples are located on hillock of Khasra no 241. No significant damage was seen in temple, **photograph is annexed and marked as annexure- VII.**
4. Abadi/houses were observed on Khasra no 242 and others khasras adjoining to Khasra no 241 of village ghata. Khasra no 241 of Vil-



4



ghata is recorded as gair mumkin pahad and Khasra no 1 Of Vil- Mangargh Khokhawala is also recorded as gair mumkin Pahad in revenue record. The Khasra no 1 is in ownership Of Jaipur Development Authority and Khasra no 241 of Ghata is in ownership of State Government

5. Few pits of earlier mining were observed at khasra no **241** of vil- Ghata and khasra no 1 of village mangargh khokhawala. khasra no. 1 of Vil- mangargh khokhawala is adjoining to Khasra no 241 Of village ghata. **Photographs are annexed and marked as annexure-VIII.**
6. The mining pits were observed at khasra no 241 at a distance of approx. 200 meter from temple. other mining pit is located in foot hills of Khasra no 1 of village Mangargh Khokhawala
7. ME jaipur informed that earlier mining was allowed till 2015 under rules 65 of Rajasthan Minor Mineral Concession Rules, 1986 in these village, however hon'ble NGT(CZ), Bhopal had banned the mining activity under said rules vide order dated 16.11.2015 in the matter of OA no 104/2015, Jagdish Meena V/s State of Rajasthan & ors.

3. Action taken on Illegal mining by Department of Mines and Revenue Department at khasra no 241 and 242 at village Ghata and on Khasra no. 1 of village Mangargh Khokhawala:

a) Past actions as informed by Mining department

- 1) In recent past, joint visits were conducted by joint team of mining department, homeguards, Revenue and police department on date 20.10.2023, 25.10.2023, 5.12.2023 and 20.12.2023. two dumpers and one JCB machine were found engaged in illegal mining of sand nearby ghata hill, all machinery were seized on 20.10.2023 and penalty of Rs 3,40,400 (three lacs forty thousand and four hundred Rs only) were recovered from defaulters.



- 2) On date 21.10.2023, 4 JCB machines, 2 compressor machines and one dumper were seized as well as penalty of Rs 7,19,200/- (seven lacs nineteen thousand and two hundred Rs only) were recovered from defaulters.
- 3) On date 25.10.2023 one JCB machine was seized and penalty of Rs 1,99,200/- (one lacs ninety-nine thousand and two hundred Rs only) were recovered from defaulters
- 4) On date 05.12.2023 one tractor with compressor was seized as well as a FIR (no 1140) was lodged in police Station against Rakesh Meena and Ramesh s/o **Ramkishan Gurjar** for illegal mining activity. **Copy of FIR is annexed and marked as Annexure-IX.**
- 5) Apart from above, regular against actions were taken against defaulters by mining department and revenue, police etc. at Vil Ghata and nearby villages in past. **Details of action taken is annexed and marked as annexure- X.**

b) Post joint visit Actions details

- i) 23393.72 MT Quantity of stock/storage of mineral i.e cheja patthar/quartz were seized from nearby places/areas of village ghata (**seizure reports are also annexed and marked as annexure- XI**). Seven Fir were also lodged for illegal storage by Mining department and revenue. **Copy of FIRs are also annexed and marked as annexure- XII.** Following are the details



Table-1

S.NO.	Khasra NO	Quantity of Seized mineral (In MTon)	Mineral	FIR no in police station kanota, tehsil-Bassi and FIR date	particulars
1	216, vil-Ghata.	1410	Masonry Stone	60/2024 dated 20.01.2024	Against Vishram Meena
2.	110/01, vil-Dayarampura	1293	Masonry Stone	77/2024 dated 22.01.2024	Against Mukesh, & Ramesh
3	119, vil-Dayarampura	6643.62	Masonry Stone	76/2024, dated 22.01.2024	Against Mahesh Meena, Raju lal Meena etc..
4	3, vil-Dayarampura	4787.1	Masonry Stone	75/2024, dated 22.01.2024	Against Kajod & Nandu, Vishnu Sharma
5	116,120,200/39, vil-Dayarampura	7800	Masonry Stone	74/2024, dated 22.01.2024	Against Umesh Meena and Ghasi Meena
6.	103, Vil-Dayarampura	960	Masonry Stone	106/24, dated 29.01.2024	Against Mahesh Meena and Bunty Sharma
7	10, Vil-dayarampura	500	Quartz	109/24, dated 29.01.2024	Against Nandu Sharma

- ii) On the basis of complaint made by applicant shree Deepak kumar s/o sh Mohan Lal A FIR (No 129) has also been lodged against **Ramkishan Gurjar** on date 02.02.2024 by Mining



7



department. **Copy of Fir is annexed and marked as annexure- XIII.**

- iii) In month of feb 2024 inspections and surveillance is also done on date 2nd & 7th feb 2024. Regular surveillance is being done.
- iv) Tehsildar bassi has issued notices for il-legal storage of mineral. **Copy of notices are annexed and marked as annexure- XIV.**
- v) Home gurads have been deployed for round the clock in the area to check illegal mining by the mining department. **Copy of order is annexed and marked as annexure- XV.**
- vi) Regular inspections and monitoring of area is also being done and shall be continue in future also to check illegal mining in the area by concerning departments.
- vii) It is also pertinent to mention that a district level committee and monitoring committee had also been constituted by Government of Rajasthan under chairmanship of District Collector to monitor the matters of illegal mining. A meeting was also convened on date 08.02.2024 wherein following were decided to check the il-legal mining at said villages

A) Rapid Action force (RAC) have been deployed from date 21.01.2024 to date 31.01.2024

B) To eradicate illegal mining, it was decided that a proposal shall be sent to State Government to surrender/Handover said hills/area to Department of Forest, GOR so that dense plantation shall be done area and area shall be protected from any illegal activity by Forest department. **Copy of minutes of meeting are annexed and marked as annexure- XVI.**



Besides above it is also submitted that same kind of matter is filed by same applicant sh. Deepak kumar before hon'ble High Court, Bench JAIPUR which has been disposed by Hon'ble High Court, Jaipur Bench directed inter alia that "we are inclined to direct The Director, Mines Department, Rajasthan to cause an enquiry made by constituting a team including the mining officer of the concerned area .The enquiry shall be made and report shall be submitted before the Director, Mines department within a period of two months from the date of receipt certified copy of this order. Thereafter, the Director, Mines Department shall take necessary steps in case the allegations of illegal mining are found correct" Copy of order dated 17.01.2024 is annexed and **marked as annexure- XVII.**

4. Future actions/recommendations

1. Regular surveillance of area shall be carried out by concerning departments under district monitoring committee
2. FIR/seizure of stock/plant& machinery/recovery of penalty shall be carried out on regular basis
3. Said area may be handover to department of forest for development of Forest for permanent solution of problem.


(Shri Krishan Sharma)
Mining Engineer,
Department of Mines, Jaipur.


(Arvind Kumar Agrawal)
Regional Officer, RSPCHM.
Jaipur (South).
राज.राज्य क्षेत्रिय कार्यालय जयपुर (दक्षिण)


(Shiv Charan Sharma)
SDO, Bassi.

Item No. 3

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL
(Through Video Conferencing)**

Original Application No. 166/2023(CZ)

Deepak Kumar

Applicant

Vs.

State Of Rajasthan & Ors.

Respondents

Date of Hearing: **08.11.2023**

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE SHEO KUMAR SINGH, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER**

For Applicant(s): None.

For Respondent(s): None.

ORDER

1. Issue raised in this application is illegal mining in the hills of Aravali Mountain near the temple by means of blasting and use of L&T, JCB machine causing cracks in the houses and the temple situated and located on the hill, unlawfull blasting without requisite permission from the competent authority has been raised, with regard to the village Ghata, Post Office and Tehsil Bassi, District Jaipur, Rajasthan.
2. A substantial issue of environment has been raised.
3. Issue notice to the respondents, returnable within four weeks. Respondents are directed to submit their reply within six weeks through E-filing portal, preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.
4. Applicant/Registry is directed to take necessary steps for service to the respondents by both ways and also on available email.
5. We deem it just and proper to call a report on the matter in issue in present Original Application, from a Joint Committee consisting of:-

- i. One representative from District Magistrate, Jaipur, Rajasthan
 - ii. One representative from State Pollution Control Board, Rajasthan.
6. The Committee is directed to visit the place and submit the factual and action taken report within six weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support.
7. Applicant/Registry is directed to supply the copy of the application and relevant documents to the Committee and Respondent(s) within a week.
8. The report in the matter be filed by the Committee through email at ngtczbbho-mp@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

List it on **22nd January, 2024.**

Sheo Kumar Singh, JM

Dr. A. Senthil Vel, EM

08th November, 2023
O.A. No. 166/2023 (CZ)
PN



Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone : 0141- 2716804, 2716800 e-mail : member-secretary@rpcb.nic.in

Helpline No. : 0141-2716877

No. F.10 (540) RPCB/Legal/NGT/2023 / 2767

Date: 02/01/2024

Regional Officer,
Rajasthan State Pollution Control Board,
Jaipur (S)

Sub: - Hon'ble National Green Tribunal order dated 08.11.2023 in Original application No. 166/2023(CZ) Deepak Kumar Vs State of Rajasthan & Ors.

Sir,

With reference to above subject matter, it is to inform that the Hon'ble NGT by order dated 08.11.2023 directed inter-alia as follow:-

"5. We deem it just and proper to call a report on the matter in issue in present Original Application, from a Joint Committee consisting of:-

i. One representative from District Magistrate, Jaipur, Rajasthan

ii. One representative from State Pollution Control Board, Rajasthan.

6. The Committee is directed to visit the place and submit the factual and action taken report within six weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support"

You are hereby nominated as member of the committee and also appointed as Nodal Officer on behalf of RSPCB with the direction to ensure compliance of Hon'ble NGT order and file the compliance report of order dated 08.11.2023. The Hon'ble NGT order dated 08.11.2023 is enclosed with this letter for ready reference.

Enclosed-As above

(Vijai N.)
Member Secretary

Copy to following for information and for compliance of Hon'ble NGT order dated 08.11.2023

1. District Magistrate, Jaipur

Signature valid

RajKaj Ref
5260952



Digitally signed by Member Secretary
Designation: Member Secretary
Date: 2024.01.02 17:00:58 IST
Reason: Approved

AS (C)
G. N. J.
21/12/23

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ग्रामीण

www.jaipur.rajasthan.gov.in

क्रमांक:-आर-1/2024/166-2023/पर्या0/105

दिनांक: 16/1/24

आदेश

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण केन्द्रीय बैंच भोपाल प्रकरण संख्या 166/2023 उनवानी दीपक कुमार बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.11.2023 में जांच करने हेतु संयुक्त कमेटी का गठन किया गया है। जिसमें जिला कलेक्टर जयपुर के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी बस्सी जयपुर ग्रामीण होंगे साथ ही प्रकरण अवैध एवं असुरक्षित खनन से संबंधित होने से खनि0 अभि0 जिला जयपुर को भी कमेटी में जांच हेतु शामिल किया जाता है।

(प्रकाश राजपुरोहित)

जिला कलेक्टर

जयपुर ग्रामीण

दिनांक: 16/1/24

क्रमांक:-आर-1/2024/166-2023/पर्या0/106

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- उपखण्ड अधिकारी बस्सी जयपुर ग्रामीण ।
- 2- क्षेत्रिय अधिकारी, क्षेत्रिय कार्यालय जयपुर (दक्षिण) राज0 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, 8/263, मालवीय नगर जयपुर।
- 3- खनि0 अभि0 जिला जयपुर

जिला कलेक्टर

जयपुर ग्रामीण

Signature valid

RajKaj Ref
5352602




Digitally signed by Prakash Rajpurohit
Designation / Collector & District
Magistrate
Date: 2024.01.16 15:08:20 IST
Reason: Approved

परिपत्र

अवैध खनन की रोकथाम के संबंध में विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करने एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत करने हेतु अतिरिक्त राजकीय अधिकारता डॉ० मनीष सिंघवी के पत्र दिनांक 28.01.2012 के क्रम में इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 09.02.2012 द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गये थे।

यह स्पष्ट है कि खनिजों का खनन वैध खनन पट्टा/लाइसेंस/परमिट के अन्तर्गत ही किया जा सकता है। इसके अलावा खनन किया जाना अवैध खनन की परिभाषा में आता है, जिसे रोका जाना एवं दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। वन क्षेत्रों में खनन, भारत सरकार के अनारक्षण स्वीकृति के वगैर किया जाना गैर-वानिकी गतिविधियों में आता है। उक्त परिपत्र की पालना सुनिश्चित किये जाने हेतु पूर्व परिपत्र की निरन्तरता में निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1. वन क्षेत्रों में अवैध खनन रोकने की पूर्ण जिम्मेदारी वन विभाग की होगी एवं इसके लिए संबंधित वन क्षेत्र के प्रभारी एवं उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी पालना किये जाने हेतु जिम्मेवार रहेंगे। न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत करने हेतु संबंधित उप वन संरक्षक/मण्डल वन अधिकारी द्वारा प्रकरण के प्रभारी अधिकारी को शपथ पत्र भिजवाया जाएगा।
2. गैर-वन क्षेत्रों में अवैध खनन रोकने की जिम्मेदारी खान विभाग की रहेगी एवं इसके लिए खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता पालना किये जाने हेतु जिम्मेवार रहेंगे। न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत करने हेतु संबंधित खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता द्वारा प्रकरण के प्रभारी अधिकारी को शपथ पत्र भिजवाया जाएगा।
3. खातेदारी भूमि में अवैध खनन किये जाने पर इसकी सूचना संबंधित तहसीलदार को देने हेतु क्षेत्र का हल्का पटवार जिम्मेवार होगा। पटवारी/खान विभाग द्वारा सूचना दिये जाने पर तहसीलदार द्वारा खातेदार के खातेदारी अधिकार निरस्त किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। तहसीलदार द्वारा अवैध खनन हेतु खान विभाग के नियमों में दी गई शक्तियों का उपयोग कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए।
4. यदि कोई भूमि औद्योगिक/अन्य कार्यों हेतु रीको/यू.आई.टी./अन्य संस्थाओं को आवंटित कर दी गई हो एवं उसमें अवैध खनन होता हो तो संबंधित संस्था के प्रभारी द्वारा पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज कराई जानी चाहिए। यदि उक्त संस्थाएं उन्हे जिस कार्य हेतु भूमि आवंटित की गई है, उसे करने में विफल रहती है तथा अवैध खनन होता हो तो ऐसे आवंटन निरस्त किये जाने हेतु जिला कलक्टर/सक्षम अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जाये।
5. राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा अवैध खनन की रोकथाम हेतु संयुक्त अभियान चलाये जाने पर संयुक्त तल में नागित अधिगारी अवैध खनन रोकथाम हेतु विभागीय नियमों को तहता संयुक्त रूप से कार्यवाही करेंगे।


निरंजन अग्नी
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय खान मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर।
7. निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
8. समस्त जिला कलक्टर।
9. विशेषाधिकारी (तक.) / उपविधि परामर्शी, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. समस्त अतिरिक्त निदेशक (खान) / (भू-विज्ञान), अधीक्षण खनि अभियंता, खनि अभियंता, सहायक खनि अभियंता द्वारा निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

Government of Rajasthan
Administrative Services Department
(Group, 3)

6(8)AR/Gr.3/2003 (2)

Jaipur, dated the 29/1/2003

ORDERS

Vide Government order No. 11(477)Mines/Gr. II/96/Pt dated 23.11.2002 a District Level Committee was constituted to monitor the mining activities in the districts namely Ajmer, Banswara, Bhilwara, Dausa, Dungarpur, Jaipur, Jhunjhunu, Jaisalmer, Sikar, Sirohi, Tonk and Udaipur as under :-

- | | |
|--|--------------|
| 1. District Collector | Chair Person |
| 2. Supdt. of Police | Member |
| 3. Mining Engineer/Assistant Mining Engineer | Member |
| 4. Dy. Conservator of Forest | Member |

Now in supersession of above Government order No. 11(477)Mines/Gr. II/96-Pt dated 23.11.2002, sanction of the Governor is hereby accorded to reconstitute this committee for all the districts of Rajasthan as follows:-

- | | |
|--|--------------|
| 1. District Collector | Chair Person |
| 2. Supdt. of Police | Member |
| 3. Mining Engineer/Assistant Mining Engineer | Member |
| 4. Dy. Conservator of Forest | Member |
| 5. A Representative of N.S.O. engaged in Environment Protection Activity nominated by District Collector. | Member |
| 6. A Representative of Mine Owners nominated by District Collector in consultation with Secretary, Federation of Mining Association Rajasthan, Jaipur. | Member |

This committee will meet on regular basis and carry following function :-

Monitoring that mining activities are carried out with due regard for protection of environment.

To take all possible actions to stop illegal mining in non forest areas, forest areas and areas protected under Environment Protection Act.

To monitor that provisions of Forest Conservation Act, 1980, Environment Protection Act, 1986 and other related laws are being obeyed in carrying out the mining activities.

Actions taken by the committee would be forwarded to Secretary, Mines on fortnightly basis mentioning in detail the action taken on these issues.

Government of Rajasthan
Administrative Reforms Department
(Group 3)

No.F.6(8)Ar/Gr.3/20023 (2)

Jaipur, dated the 29/1/2003

ORDER

Vide Government order No.F.11(477)Mines/Gr.II/96 Pt dated 23.11.2002 a District Level Committee was constituted to xxxx the mining activities in the districts namely Ajmer, xxxx, Banswara, Bhilwara, Dausa, Dungarpur, Jaipur, Jhunjhunu, xxxx, Rajsamand, Sikar, Sirohi, Tonk and Udaipur as under:-

- | | | |
|----|---|--------------|
| 1. | District Collector | Chair Person |
| 2. | Supdt. Of Police | Member |
| 3. | Mining Engineer/Assistant Mining Engineer | Member |
| 4. | Dy. Conservator of Forest | Member |

Now in supersession of above Government Order No. F.11(477)Mines/Gr.II/96-Pt dated 23.11.2002, sanction of the Governor is hereby accorded to reconstitute this xxxx for all districts of Rajasthan as follows:-

- | | | |
|----|--|--------------|
| 1. | District Collector | Chair Person |
| 2. | Supdt. Of Police | Member |
| 3. | Mining Engineer/Assistant Mining Engineer | Member |
| 4. | Dy. Conservator of Forest | Member |
| 5. | A representative of N.G.O. engaged in Environmental Protection Activity nominated by District Collector. | Member |
| 6. | A representative of Mines Owners nominated by District Collector in consultation with Secretary, Federation of Mining Association Rajasthan, Jaipur. | Member |

This committee will meet on regular basis and carry following function :-

Mentioning that mining activities are carried out with due regard for protection of environment.

To take all possible actions to stop illegal mining in non forest areas, forest areas and areas protected under Environment Protection Act.

To monitor that provisions of Forest Conservation Act, 1980, Environment Protection Act, 1986 and other related laws are being obeyed in carrying out the mining activities.

Actions, taken by the committee would be forwarded to xxxx, Mines on fortnightly basis mentioning in the action taken on these issues.



Jan 18, 2024 2:39:44 PM
26.88298058N 75.9997815E
Jaipur Division
Rajasthan



Jan 18, 2024 2:58:10 PM
26.38194968N 76.00074036E
Ghata
Jaipur Division
Rajasthan



Jan 18, 2024 2:39:42 PM
26.88298206N 75.99977363E
Jaipur Division
Rajasthan



Mining Pit at village Mangarj Khokhawala



Mining Pit at Village Ghata

P680

Annex-IX

N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I/एकीकृत जांच फार्म-I**FIRST INFORMATION REPORT**

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): जयपुर सिटी (पूर्व) P.S. (थाना): कानोता Year (वर्ष): 2023

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 1140 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 05/12/2023 19:31 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	4
2	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	21
3	शा सं 1860.	379

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): मंगलवार Date From (दिनांक से): 05/12/2023 Date To (दिनांक तक): 05/12/2023
Time Period (समय अवधि): पहर 5 Time From (समय से): 12:30 बजे Time To (समय तक): 13:40 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 05/12/2023 Time (समय): 18:38 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 045 Date & Time (दिनांक एवं समय): 05/12/2023 19:14:00 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): पूर्व, 3.01 किमी

Beat No. (बीट सं.): हरध्यानपुरा

(b) Address(पता): HARDI HARDHAYNPURA, DAYARAMPURA

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S. (थाना का नाम): कानोता

District(State) (जिला (राज्य)): जयपुर सिटी (पूर्व)(राजस्थान)

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): SONU AWASTIHI

(b) Father's Name (पिता का नाम): VISMBAR DAYAL

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1992

(d) Nationality(राष्ट्रियता): भारत

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue

Place of Issue

(जारी करने की तिथि):

(जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पारपत्र, आधार कार्ड सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number
-------	---------	-----------

(h) Occupation (व्यवसाय): नौकरीपेशा

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	TILAK MARG, UDDOG BHAWAN JAIPUR, अशोक नगर, जयपुर शहर (दक्षिण), राजस्थान, भारत
2	स्थायी पता	VPO KAMALPUR, PS MAHWA, महुआ, दौसा, राजस्थान, भारत

(j) Phone number

(दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.): 91-9001741704

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RAKESH MEENA		पिता: BHIMA RAM MEENA	1. GHATA, BASSI, कानोता, जयपुर सिटी (पूर्व), राजस्थान, भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)

(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्सी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
-----------------	-------------------------------------	------------------------------------	---------------------	--------------------------------

10. Total value of property stolen (In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य (रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)
--------------------	--------------------------------------

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)

(प्रथम सूचना तथ्य (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवा में श्रीमान थाना अधिकारी पुलिस थाना कानोता जयपुर विषय प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने वाबत महोदय निवेदन है कि आज दिनांक 5-12-23 को अवैध खनन/निर्गमन की चेकिंग हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता मय खनि व सहायक खनिज अभियंता के साथ कार्यालय खनिज अभियंता जयपुर से समय लगभग 12:30 पीएम पर रवाना होकर तहसील बस्सी के हरडी हरध्यानपुरा दयारामपुरा के पहाड़ों में लगभग 1-40 पीएम पर सरकारी वाहन बोलेरो आर जे 27 uc 0124 से पहुंचे वक्त दबिश् हरडी हरध्यानपुरा के पहाड़ों में अवैध ब्लारिग होती हुई दिखाई दी पहाड़ों में लगे अवैध खनन पिटों में से एक पुराने पिट में ताजा अवैध खनन के निशान पाए गए जिसमें से एक ट्रैक्टर में कंप्रेसर हॉल खुद कर भागता हुआ दिखाई दिया जिसका पीछा कर उसको पकड़ा गया वाहन चालक ने अपना नाम राकेश मीणा पुत्र श्री भीमाराम मीणा जाति मीणा उम्र 31 वर्ष निवासी घाटा तहसील बस्सी जिला जयपुर बताया वाहन ट्रैक्टर मय कंप्रेसर बिना नंबरी MF241DI रंग लाल इंजन नंबर S325.1N74302 चेचिस नंबर MEA8D061KP2510400 अस्थायी नंबर RJ59C.0005TC पाया गया है वाहन चालक से ट्रैक्टर में कंप्रेसर के पहाड़ों में होल खोदने के संबंध में वैध कागजात मांगे लेकिन उसके कोई वैध कागजात नहीं दिखाये जिससे स्पष्ट है कि वाहन चालक द्वारा अवैध रूप से होल खोद कर अवैध खनन किया जा रहा है मौके पर पुराने पिट में ताजा पिट 10 मीटर * 7 मीटर * 3 मी का लगा हुआ पाया गया जिससे उत्पादित संपूर्ण खनिज का अवैध खान कर अवैध रूप से निर्गमित किया जाना पाया है ट्रैक्टर कंप्रेसर चालक से अवैध खनन करता के संबंध में जानकारी करने पर उसने बताया कि उक्त अवैध खनन रमेश पुत्र रामकिशन गुर्जर निवासी घाटा तहसील बस्सी द्वारा करवाया जा रहा है वर्तमान में उक्त पहाड़ी में कार्यालय द्वारा कोई वैध खनन पट्टा विभाग से स्वीकृत नहीं है तथा घटनास्थल जेडीए के नाम दर्ज भूमि प्रतिष्ठ होती है अत वाहन चालक एवं वाहन मालिक के खिलाफ धारा MMDR ACT 1957 की धारा 4 व 21 एवं 2017 के नियम 54 60 एवं आईपीसी की धारा 379 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करवाने का थ्रम करावे सलगन 1 गूल मौका पंचनामा मय जप्ती फर्द 2- वाहन सुपुर्दगीनामा 3- मौका नज़री नक्शा ----- कार्यवाही ----- प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त लिखित रिपोर्ट सुश्री मोनू अवस्थी पुत्री श्री विशंभर दयाल अवस्थी जाति ब्राह्मण उम्र 31 साल निवासी ग्राम कमालपुर पुलिस थाना महुआ जिला दोसा हाल सर्वेयर कार्यालय खनिज अभियंता जयपुर ने उपस्थित थाना होकर पेश की मजबूत रिपोर्ट से मामला अपराध धारा MMDR ACT 1957 की धारा 4 21 एवं RMMCR 2017 के नियम 54 60 एवं IPC धारा 379 के तहत अभियोग पंजीबद्ध कर तपतीश श्री रामनिवास उनि के जिम्मे कर cctns में प्रविष्टि दर्ज होने पर प्रकरण संख्या पृथक से जारी होने पर नीचे अंकित किया जावेगा Fir प्रतिया नियमानुसार जारी कर एक प्रति निशुल्क परिवादिया को दी जावेगी।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.):
(जाँच अधिकारी का नाम):

Ramniwas Meena

Rank
(पद):

उपनिरीक्षक/ अवर निरीक्षक

No(सं.):

to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused investigation due to
(जाँच के लिए):

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना):

District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति नि:शुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):



Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by Kailash Chand Meena
Location: Rajasthan,IN
Date: 05/12/2023 19:33:43


15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): Kailash meena

Rank (पद): Asst. SI (Assistant Sub-Inspector)

No(सं.): 859

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान, जयपुर

तहसील बस्सी के हरडी, हरध्यानपुरा, बैनाडा, दयारामपुरा, रामरतनपुरा, घाटा, कानोता में अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण के विरुद्ध की गई कार्यवाही का वित्तीय वर्षवार विवरण :-

क्र. स	वित्तीय वर्ष	अवैध खनन	निर्गमन	भण्डारण	कुल प्रकरण	वसूली गई शास्ति राशि	दर्ज एफआईआर
1.	2018-19	5	22	0	27	9124570	3
2.	2019-20	0	47	0	47	2148250	1
3.	2020-21	0	20	0	20	705650	0
4.	2021-22	2	49	0	51	3727618	1
5.	2022-23	11	58	0	69	4654475	6
6.	2023-24 (06.02.2024)	36	14	8	58	5390519	9

खनि अभियंता, जयपुर।

सं. सं. सं.
 10

राजस्थान सरकार
संयुक्त मीमा पंचनामा
 X

आज दिनांक 14/11/24 को ग्राम-घाघा तहसील वस्ती जिला-जयपुर के राजीव गांधी पाठशाला जूनावालो की ढाणी के पास स्थित आराजी खसरा नं० 216 रकबा 1.024 हे० में पंडे खनिज का राजस्व विभाग के पटवारी के साथ अधोदस्ताक्षरकर्ता मधु मन्नीषी स्ट्राफ़ द्वारा देखा गया।

संयुक्त मीमा जांच के तहत आराजी खसरा में खनिज टैरियों के रूप में खे दितराया हुआ पडा पाया गया। पंडे खनिज चैज पत्थर की नाप की गई जो कि निम्नानुसार

- ① 5 टैरिया प्रत्येक 30MT = 150MT
 - ② लगभग 22 टैरिया प्रत्येक 30MT = 660MT
 - ③ लगभग 20 टैरिया प्रत्येक 30MT = 600MT
- कुल = 1410MT

मीमा पर उपस्थित इलाका पटवारी द्वारा राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन कर बताया कि उक्त खनिज खानेदारी भूमि खसरा नं० 216 रकबा 1.024 हे० में ही पडा है जिसके सातेदार श्री विश्वाम मीमा पुत्र श्री धमोजी राम जाति-मीमा

← P-T-0 →

निवासी - गावडा तहसील - हिंगोली जिल्हा
 करौली हाल निवासी A-142 नन्दपुरी
 सोनी जगतपुरा जयपुर है। कायस्थि
 रिपोर्ट अनुसार उक्त आराजी खसरा में
 विभाग द्वारा कोई स्टॉक करने की
 अनुमति जारी नहीं की गई, जिससे
 स्पष्ट है कि उक्त खनिज स्टॉक अवैध
 खनन प्रोग्राम प्राप्त कर अवैध अडारण किया
 गया है। मौके पर सातदार / प्रतिनिधी
 कोई मौजूद नहीं मिला। उक्त अवैध स्टॉक
 से लगभग 500 मीटर दक्षिण दिशा में राजस्थान-गुजरात
 गैंग मुठ पहाड खसरा नं० 241 रकबा 38 हे०
 पडता है जिसमें अवैध खनन के पिरस
 वने हुए हैं जिनमें राजा अवैध खनन
 के निवांनात दिखाई दिऐ, जिससे स्पष्ट
 है कि अवैध खनिज स्टॉक अवैध खनन
 कर किया गया है। मौके पर आसपास
 के ग्रामीण उपस्थित रहे लेकिन अवैध स्टॉक
 किस व्यक्ति द्वारा किया गया है कि
 जानकारी नहीं बताई। उक्त स्टॉक राजस्थान
 अधिधान खनिज रियायत विधायक 2017
 के नियम 5A, 60 के तहत अवैध की श्रेणी
 में आता है। सयुक्त मौका पंचनामा बनाया जाकर
 मुठ मुठर इलाका डि०-1

वी.ए. 18/11/24
 8/11/24

18/11/24

18/11/24

AMB, JPR
 18/11/24
 4:30 PM



18/01/24

नगरपालिका नक्शा विभाग बाजार बस्ती
दिनांक - 18/01/2024

N
↑
Not to Scale
ईशान्य →

राजकीय हाथमिऊ विद्यालय, जूनवालों की नदी
(राजीवगांधी पारपाल, जूनवालों की नदी)
राजस्व रिजार्डिङ अनुसार

- ① 5 डेरी सलपेउ 30 मीटर गी = 1500 म
- ② 22 डेरी सलपेउ 30 मीटर गी = 6600 म
- ③ 20 डेरियां सलपेउ 30 मीटर गी = 6000 म




[Signature]
18/01/24

[Signature]
18/01/24
Surveyor

[Signature]
(AME, JPR)

खनिज सुपुर्दगी/जफ़ी फ़ड

आज दिनांक 18/1/24 को ग्राम-घाटा
तहसील-वस्ती जिला-जयपुर के राजीव
गाँधी पाठशाला जूनावाला की ढाँगी के
पाल स्थित आराजी खसरा नं० 216 रकबा
1.024 हे० खातेदारी भूमि में अवैध
मठभारित खनिज = चंजापत्थर लगभग
1410MT को संयुक्त रूप से खनिज
राजस्व व J.D.A, पुलिस विभाग
द्वारा RMMCR-2017 के नियमों के
तहत जप्त सरकार अधिा गया जिसको
सुरक्षार्थ सुपुर्दगी श्री जगदीश S/O श्री प्यारे
लाल मीना निवासी प्लॉट-18 रघुविहार
कालोनी जगतपुरा हल्का पयवारी बेंनाडा
व प्रिया शर्मा S/O श्री अमृकाश शर्मा
निवासी - B-75 वरुण विहार आगरा रोड
जयपुर 9351122081 द्वारा - ग्राम सचिव
घाटा को दी जाकर निर्देशित किया
कि उक्त खनिज को सुद-सुद
नहीं होने दे, तथा कोई भी परेशानी
हो पुलिस थाना कानोटा की तुरन्त मदद लो।


जं. वेनाडा
18/01/24

20/1/24
86-3
पिडकानोटा


Prity VDO
ग्राम पंचायत धा

कर्मवाही द्वारा किए गए काम का निवेदन अग्रिम में
 प्रमाणित किया जाता है कि प्रतीति जी मरणा-चक्र मणि
 शिला एवं रागचक्र मणि का कुल 37 वर्ष विद्यापीठ
 क्षेत्री इन्स्टीट्यूट, पिताका उमर गंगाधर सिंह धाम
 का संरक्षण करके काम निरंतर चल रहा है उक्त
 कामों में निरंतर रिपोर्ट मध्य पंचनाथ स्थित
 जवनी व सिपुडगी मठों के प्रमुख श्री गजानंद
 सिंह से मासिक रूप से प्राप्त किया 379 IP
 व कार्या 4/21 mmOR किया 54.60
 2017 के वर्ष के कामों का प्रमाणित होने से
 प्रकरण अग्रिम में अग्रिम का शिपिंग
 मंत्र के द्वारा किया गया है।
 श्री प्रमाणित किया गया है श्री गजानंद
 सिंह के द्वारा ही करके है।


 AME 100

20
 प्रमाणित


दिनांक 19-1-24

1
11/11/71
AME, JRR



AME, JRR





AME, SPR 18/1/24



राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, जयपुर
पंचम तल, खनिज भवन, तिलक मार्ग, सी स्कीम, जयपुर - 302 005
दूरभाष नं. 0141-2227404 email: me.jaipur@rajasthan.gov.in

क्रमांक :- खअ/जय/अना./2023-24/160

दिनांक :-25.01.2024

प्रेषित:-

- श्री विश्राम पुत्रश्री घमण्डीराम जाति मीणा,
हाल निवासी ए-142 नन्दपुरी कॉलोनी जगतपुरा जिला जयपुर
स्थाई निवास ग्राम गावडा तहसील हिन्दौन जिला करौली।

विषय:- खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4 व 21 तथा राजस्थान अप्रधान खनिज खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियम 54 व 60 का उल्लंघन कर बिना अनुमति, ग्राम घाटा तहसील बस्सी जिला जयपुर में आप द्वारा खनिज चेजा पत्थर का अवैध भण्डारण किये जाने के संबंध में कारण बताओं नोटिस।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, जयपुर विकास प्राधिकरण एवं इस कार्यालय के सहायक खनि अभियंता व हल्का खनि कार्यदेशक-11 मय जाबो के संयुक्त दलो द्वारा हल्का पटवारी बैनाडा के साथ, अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण की चैकिंग के दौरान दिनांक 18.01.2024 को ग्राम घाटा तहसील बस्सी जिला जयपुर में खातेदारी भूमि खसरा संख्या 216 रकबा 1.024 हैक्ट0 का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि राजस्व रिकार्ड अनुसार खसरा संख्या 216 ग्राम घाटा तहसील बस्सी जिला जयपुर खातेदारी भूमि आपके नाम दर्ज है, जिसमें बिना वैध अनुमति के खनिज चेजा पत्थर का अवैध भण्डारण किया हुआ पाया गया। जिसके संबंध में पुलिस थाना कानोता में प्राथमिकी संख्या 60 दिनांक 20.01.2024 से दर्ज कराई गई। मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरा नं. 216 में कुल खनिज की मात्रा 1410 टन का खनिज चेजा पत्थर का अवैध भण्डारण किया हुआ पाया गया, जिसमें नियमानुसार खनिज चेजा पत्थर की 10 गुणा रॉयल्टी/खनिज की कीमत राशि रु. 6,20,400/- शास्ति राशि के रूप में वसूलनीय है। आपकी खातेदारी भूमि में विभाग द्वारा कोई खनन व भण्डारण अनुमति/परमिट जारी नहीं है, अतः आपका उक्त कृत्य खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4 व 21 तथा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियम 54 एवं 60 का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसके तहत 5 वर्ष तक की सजा एवं अवैध खनन की मात्रा की 10 गुणा रॉयल्टी वसूली का प्रावधान है। आप उक्त कृत्य के लिये उक्तानुसार जुर्मा के भागीदार है।

अतः आपको सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये इस कारण बताओं नोटिस के जरिये सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में आप कोई पक्ष, दस्तावेज/प्रमाण प्रस्तुत करना चाहते हो तो नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस में इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। अन्यथा बाद मियाद आपके विरुद्ध राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियम 54 एवं 60, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 व 21, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत खातेदारी भूमि में गैर खातेदारी उपयोग करने के कारण खातेदारी अधिकार निरस्त करने की एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379 के तहत कार्यवाही की जावेगी। सूचित रहें।

भसदीय

(श्रीकृष्ण शर्मा)

खनि अभियन्ता, जयपुर

दिनांक :-25-01-2024

क्रमांक :- समसंख्यक/161-164

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- श्रीमान तहसीलदार तहसील बस्सी जिला जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- हल्का पटवारी बैनाडा श्री जगदीश मीना पुत्रश्री प्यार लाल मीना निवासी प्लॉट नंबर 18 रघुविहार कॉलोनी जगतपुरा व
- हल्का ग्राम सचिव ग्राम घाटा श्री/सुश्री प्रिया शर्मा पुत्रीश्री ओमप्रकाश शर्मा निवासी बी-75 वरुण विहार आगरा रोड जयपुर को निर्देशित किया जाता है अग्रिम आदेश तक जब खनिज खुर्द-बुर्द ना हो तथा खुर्द-बुर्द की स्थिति में तत्काल पुलिस थाना कानोता को सूचित करे।
- खनि कार्यदेशक/सर्वेयर सोनू अवस्थी कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि क्षेत्र में लगातार निगरानी रखे एवं यदि उक्त अवैध खनन/भण्डारण कार्य चालू पाया जावे तो अवैध खननकर्ताओं के विरुद्ध पुलिस थाना कानोता को सूचना तथा की गई कार्यवाही से तत्काल अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावे।

खनि अभियन्ता, जयपुर।

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एवं जमाबंदी (प्रतिलिपि)

दिनांक : 25/01/2024 04:04:50 PM


ज़िला : जयपुर

तहसील : बस्सी

भू. अ. नि. क्षेत्र : बस्सी

पटवारी हल्का : बैनाडा

ग्राम : घाटा



Scale 1:2000

खसरा संख्या : 216 क्षेत्रफल : 1.0242 Hectare खाता संख्या : 393 पुराना खाता संख्या : 375

भूमि किस्म [क्षेत्रफल लगान] : बारांनी 3 [1.0242, 0.61]

1.) विश्राम पुत्र घमण्डीराम हिस्सा- पूर्ण जाति- मीणा नि. गावड़ा तहसील हिन्डौन जिला करौली हाल निवासी ए-142 नन्दपुरी कॉलोनी जगतपुरा जयपुर खातेदार

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें। ULPIN no : null


0190657

पंजीकृत

ग्राम अमरापुरा नए-बदली जिला मन्सूर

खसरा नं. 110/1 रकबा 2.8198 हेक्टर

Not to Scale



पंजीकृत

 21/1/24

21/1/24

(AME, SIR)

21/01/2024

21/1/24

21/01/24

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, जयपुर
पंचम तल, खनिज भवन, तिलक मार्ग, सी स्कीम, जयपुर - 302 005
दूरभाष नं. 0141-2227404 email: me.jainpur@rajasthan.gov.in

दिनांक :- 25.01.2024

क्रमांक :- खअ/जय/अना./2023-24//19

प्रेषित:-

1. श्री रामकंवार पुत्रश्री छोटया जाति मीना,
निवासी ग्राम दयारामपुरा तहसील बस्सी,
पटवार हल्का जीतावाला भूअ.नि. क्षेत्र फाल्यावास
जिला जयपुर।

विषय:- खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4 व 21 तथा राजस्थान अप्रधान खनिज खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियम 54 व 60 का उल्लंघन कर बिना अनुमति, ग्राम दयारामपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर में आप द्वारा खनिज चेजा पत्थर का अवैध भण्डारण किये जाने के संबंध में कारण बताओं नोटिस।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, जयपुर विकास प्राधिकरण एवं इस कार्यालय के सहायक खनि अभियन्ता व हल्का खनि कार्यदेशक-आ मय जाबले के संयुक्त दलो द्वारा हल्का पटवारी दयारामपुरा के साथ, अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण की चैकिंग के दौरान दिनांक 21.01.2024 को ग्राम दयारामपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर में खातेदारी भूमि खसरा संख्या 110/1 रकबा 2.8198 हैक्ट0 का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि राजस्व रिकार्ड अनुसार खसरा संख्या 110/1 ग्राम दयारामपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर खातेदारी भूमि आपके नाम दर्ज है, जिसमें बिना वैध अनुमति के खनिज चेजा पत्थर का अवैध भण्डारण किया हुआ पाया गया। जिसके संबंध में पुलिस थाना कानोता में प्राथमिकी संख्या 77 दिनांक 22.01.2024 से दर्ज कराई गई। नौका रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरा नं. 110/1 में कुल खनिज की मात्रा 1293 टन का खनिज चेजा पत्थर का अवैध भण्डारण किया हुआ पाया गया, जिसमें नियमानुसार खनिज चेजा पत्थर की 10 गुणा रॉयल्टी/खनिज की कीमत राशि रु. 5,68,920/- शास्ति राशि के रूप में वसूलनीय है। आपकी खातेदारी भूमि में विभाग द्वारा कोई खनन व भण्डारण अनुमति/परमिट जारी नहीं है, अतः आपका उक्त कृत्य खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4 व 21 तथा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियम 54 एवं 60 का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसके तहत 5 वर्ष तक की सजा एवं अवैध खनन की मात्रा की 10 गुणा रॉयल्टी वसूली का प्रावधान है। आप उक्त कृत्य के लिये उक्तानुसार जुर्म के भागीदार है।

अतः आपको सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये इस कारण बताओं नोटिस के जरिये सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में आप कोई पक्ष, दस्तावेज/प्रमाण प्रस्तुत करना चाहते हो तो नोटिस प्राप्त के 15 दिवस में इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। अन्यथा बाद मियाद आपके विरुद्ध राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियम 54 एवं 60, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 व 21, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत खातेदारी भूमि में गैर खातेदारी उपयोग करने के कारण खातेदारी अधिकार निरस्त करने की एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379 के तहत कार्यवाही की जावेगी। सूचित रहें।

भवदीय

(श्रीकृष्ण शर्मा)

खनि अभियन्ता, जयपुर

दिनांक :- 25-01-2024

क्रमांक :- समसंख्यक/120-723
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान तहसीलदार तहसील बस्सी जिला जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. हल्का पटवारी जीतावाला श्री भोलेराम मीना पुत्रश्री रामअवतार मीना निवासी ग्राम विराजपुरा तह0बस्सी व
3. हल्का ग्राम विकास अधिकारी श्री कपिल मीरोठा ग्राम पंचायत जीतावाला को निर्देशित किया जाता है अग्रिम आदेश तक जब्त खनिज खुर्द-बुर्द ना हो तथा खुर्द-बुर्द की स्थिति में तत्काल पुलिस थाना कानोता को सूचित करे।
4. खनि कार्यदेशक/सर्वेयर सोनू अवस्थी कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि क्षेत्र में लगातार निगरानी रखे एवं यदि उक्त अवैध खनन/भण्डारण कार्य चालू पाया जावे तो अवैध खननकर्ताओं के विरुद्ध पुलिस थाना कानोता को सूचना तथा की गई कार्यवाही से तत्काल अघोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावे।

खनि अभियन्ता, जयपुर।

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एवं जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 25/01/2024 03:38:25 PM


जिला : जयपुर

तहसील : बस्सी

भू. अ. नि. क्षेत्र : फाल्गवासा

पटवारी हल्का : जीतावाला

ग्राम : दयारामपुरा



Scale 1:2000

खसरा संख्या :110/1 क्षेत्रफल : 2.8198 Hectare खाता संख्या : 97पुराना खाता संख्या : 91

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: बारानी 2 [2.8198, 2.54]

1.) रामकवार पुत्र छोटया हिस्सा- पूर्ण जाति- मीना सा. देह खातेदार

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

- नोट :-
1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
 2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
 3. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें। ULPIN no : null

राजस्थान सरकार

संयुक्त मौका जेयनामा

श्रीमान मुख्य सचिव राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प२०(२३)
खान/ग्रुप २/२०२३ दिनांक १३/१/२०२४ की अनुपालना में अर्जेंटल/मिनिंग/गोडार्ड के विद्वक्त दिनांक १५/१/२०२४ से ३१/१/२०२४ तक पलने जा रहे संयुक्त आम्निंग के तहत राजस्व विभाग, खान विभाग, J.D.A बमुल्लि के संयुक्त इले द्वारा आज दिनांक २१/१/२०२४ को ग्राफ दगारामपुर ले. वस्ती जिला जयपुर के खसरा खसरा ११९ रकबा १६३१२ हेक्टर में ये खनिज आ मोका देखा गया वक्त मौका जॉय उक्त इराजीसस में खनिज देखने के रूप में सब छिलराया हुआ पाया गया/ ये खनिज चेका पलने की जाय की गई जो कि नानुमा है।

- ① १८मी x ३.५मी x १.५म - १६९.९२८
 - ② ६मी x १०मी x २.५म - २७०
 - ③ ५मी x ७मी x २म - ७०
 - ④ २३मी x २.५मी x २म - २३०
 - ⑤ १५मी x १५मी x ०.५म - ११२.५
 - ⑥ १०मी x १.५मी x १.५म - २२.५
 - ⑦ २०मी x २.५मी x १.५म - ७५
 - ⑧ २५मी x ८मी x ०.५म - १००
 - ⑨ २५मी x ३मी x ३म - २२५
 - ⑩ २०मी x ११मी x १.५म - ३३०
 - ⑪ १०मी x १०मी x १.५म - १५०
 - ⑫ ५मी x ५मी x ३मी - ७५
- ⑬ डेरीला पुलने २०८ = ६०८
- ⑭ २०६२२ला प्रयेड ३०८ = ६००८
- ⑮ ५२२२२ला प्रयेड ३०८ = १२६०८
- ⑯ २५म x २३म x २म = ११२५
- ⑰ १८म x १७ x ०.५म = १५३
- ⑱ १६२२२ला १००८
- कुल - ६६५३.६२८

मोडे पर स्थित एका पंचायत समिति द्वारा राजस्व रिपोर्ट को अवलोकन कर बताया कि उक्त गण्डारित रकम खालेदारी संख्या 119 संख्या 1-6312 के तहत राजस्व ग्राम दमारापुरा - नं. 18 - बस्सी जिला जयपुर में पडा है। कार्यालय रिपोर्ट अनुसार उक्त करानी खसरा में (रकम विभाग) कोई स्लेट फरे की अनुमति जारी नहीं की गई है जिसे स्पष्ट हो कि उक्त रकम का गण्डारण अवैध रूप से किया गया है। अवैध स्लेट से लगभग 500 मी. दूरी पर उत्तरी दिशा में J.D.A की शक्ति में पहाड़ी स्थित है जिसे अवैध रकम के लाना नये-पुराने पिट वगैरे हुए हैं उक्त गैर स्थिति अनुसार उक्त गण्डारित रकम का J.D.A स्थित पहाड़ी से लाना गया है मोडे पर आस-पास के गाँवों से एक क्षेत्रीय के मजदूरों से उक्त गण्डारित रकम के मालिक के बारे में जानकारी करनी चाहिए लेकिन कोई पुराना जानकारी नहीं हो पायी। मोडे पर उपलब्ध रकम गण्डारण के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति/स्वायत्त व्यक्त को कोई भी जानकारी किसी के द्वारा भी पेश नहीं करने से उक्त अवैध रकम को राजस्व गण्डारण रकम रिपोर्ट निम्नलि-

21/11/24
18/11/24

2027 के निम्न 54 व 60 के तहत अवैध रकम/गण्डारण की शक्ति आता है। उक्त दिशा में स्थित J.D.A की पहाड़ी जे.पू.खसरा

संख्या 1 राजस्व ग्राम दमारापुरा से अवैध रकम का चोरी से लाना जाऊ खालेदारी शक्ति में गण्डारित किया गया है जो कि J.D.A की संपत्ति की चोरी है। सुवर्त गैर पंचनामा बनाया जाऊ पर सुवर्त हस्ताक्षर मिले गये।

21/11/24

21/11/24

21/11/24


21/11/24

21/11/24

जल्दी जर्द/रकियज सुपुर्गीनामा

सुपुक्त मोक पंचनामा आज दिनांक २१/१/२०२५ मे अर्थ रकन/अपारण मे खातेदारी भनि खरबा ११९ रकबा १.६३१२ हेक्टर राजस्व ग्राम इरामपुरा नद-बस्ती जिला जयपुर के रकियज, पुलिस, राजस्व व ज.ड.अ द्वारा अर्थ रूप से गणना किये रकियज ६६५३.६२ MT (लगन) को जल सरकार R M C R - २०१७ के गिलन ५५ व ६० के तहत किये जाके रकियज की सुरकार्य सुपुर्गी हल्का पावारी जीतावाला श्री मोले राम शर्मा/ रामअवला श्रीना मिनासी - ग्राम इरामपुरा नद-बस्ती जिला जयपुर, ग्राम विकास अधिकारी श्री कपिल मीरोडा ग्राम पंचायत जीतावाला (राजस्व ग्राम इरामपुरा) को दी जाके निर्देशित किये कि डक्टर रकियज का अग्रिम आदेश लड सुर्द-सुर्द ना हो, अग्रिम मे अगल मोर सुर्द-सुर्द की स्थिति बने तो तुरन्त सम्बन्धित प्रामिस धागे को सूचित करे।

Sony
21/01/24
P.S. Kanchal


जयपुर/२१/१/२५
२१/१/२५
V.D. O
ग्राम पंचायत जीतावाला
२१/१/२०२५

जपती जर्दी/खनिज सुपुडगी नाका

सुपुस्त मंत्र पंचनामा आज दिनांक २१/१/२०२५ मे अर्बेच खनन/प्रकारण मे खालेदारी- प्रति सरब्बा ११९ रुबा १.६३१२ ईस्ट राजस्व ग्राम क्षारापुरा नई-बस्वी जिला जपपुर के खनिज, पुलिस, राजस्व व उ.प.अ द्वारा अर्बेच रूप से मज्जारित खनिज ६६५३.६२ MT (लगभग) को जल सरकार R.M.N.C.R-२०१७ के गिल्ल ५५ व ६० के तहत किना जाक खनिज की सुरक्षा सुपुडगी हल्का पोकारी जीतावाला श्री मोले राम शर्मा/राजशवता गीना गिनासी- ग्राम क्षारापुरा नई-बस्वी जिला जपपुर, ग्राम विकास अधिकारी श्री कपिल गीरोडा ग्राम पंचायत जीतावाला (राजस्व ग्राम क्षारापुरा) को दी जाक निर्देशित जिला पि डब्लू खनिज का अर्बेच आदेश लड सुड-कुड ना हो, मज्जप मे जगल कोर सुड-कुड की स्थिति को लो लुप्त सम्बा-धित पुलिस धागे को सूचित को

Scanned
21/01/24
PS Kanchi

Kanchi
U.D. O
ग्राम पंचायत क्षारापुरा
21/1/2024


प.म.ज.ता.व.स.स.
21/1/24

श्रीमद्गणेशाय नमः (वि. नं. ११९) दयागंगपुरी तालुकद्वारा विभाज्यपुर
 ११९ नं. ११९ तालुकद्वारा विभाज्यपुर

११
 १

११९ नं. ११९

स्मृतियां



११-११-११
 १११
 १११

→ सैमाडा

श्री गुरुमानमंदिर

→ इटमडा

← (पुस्तकेंद्र परिसर)
 विशाल विन्स
 कम्पनी

26° 52' 31" 75° 59' 38"

Pooja Minerals
 (Dusse)
 ११९ नं. ११९

११९ नं. ११९
 ११९ नं. ११९
 ११९ नं. ११९

← विशाल विन्स कम्पनी
 के Labour स्टाफर्स

26° 52' 25" 75° 59' 37"

Meena Minerals
 वि. नं. ११९ तालुकद्वारा विभाज्यपुर

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, जयपुर
पंचम तल, खनिज भवन, तिलक मार्ग, सी स्कीम, जयपुर - 302 005
दूरभाष नं. 0141-2227404 email: me.jaipur@rajasthan.gov.in

क्रमांक :- खअ/जय/अना./2023-24/124

दिनांक :- 25.01.2024

प्रेषित:-

1. श्री केलारा पुत्रश्री जयनारायण जाति हरियाणा ब्राह्मण हिस्सा 1/16,
2. श्री रमेश चन्द पुत्रश्री जयनारायण जाति हरियाणा ब्राह्मण हिस्सा 1/16,
3. श्री शंकर लाल पुत्रश्री नारायण जाति ब्राह्मण हिस्सा 1/12,
4. श्री सुवालाल पुत्रश्री गोपाल जाति ब्राह्मण हिस्सा 1/60,
5. श्री सीताराम पुत्रश्री गोपाल जाति ब्राह्मण हिस्सा 1/60,
6. श्री सीताराम पुत्रश्री जयनारायण जाति हरियाणा ब्राह्मण हिस्सा 1/16,
7. श्री केलाराचन्द पुत्रश्री गोपाल जाति ब्राह्मण हिस्सा 1/60,
8. श्री काना पुत्रश्री रुघनाथ जाति ब्राह्मण हिस्सा 1/12,
9. श्री गुलाबचन्द पुत्रश्री गोपाल जाति ब्राह्मण हिस्सा 1/60,
10. श्री छोटीलाल पुत्रश्री लछम्मा उर्फ लक्ष्मीनारायण जाति ब्राह्मण हिस्सा 1/6,
11. श्री जगदीश पुत्रश्री जयनारायण जाति ब्राह्मण हिस्सा 1/16,
12. श्री जगदीश प्रसाद पुत्रश्री भौरीलाल पंचोली जाति हरियाणा ब्राह्मण हिस्सा 1/4,
13. श्रीमति धापादेवी पत्नि स्व. श्री गोपाल जाति ब्राह्मण हिस्सा 1/60,
14. श्री भौरया पुत्रश्री रुघनाथ जाति हरियाणा ब्राह्मण हिस्सा 1/12,
निवासी ग्राम केशोपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर


विषय:- खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4 व 21 तथा राजस्थान अप्रधान खनिज खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियम 54 व 60 का उल्लंघन कर बिना अनुमति, ग्राम दयारामपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर में आप द्वारा खनिज चेजा पत्थर का अवैध भण्डारण किये जाने के संबंध में कारण बताओं नोटिस।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, जयपुर विकास प्राधिकरण एवं इस कार्यालय के सहायक खनि अभियंता व हल्का खनि कार्यदेशक-II मय जाबो के संयुक्त दलों द्वारा हल्का पटवारी दयारामपुरा के साथ, अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण की चैकिंग के दौरान दिनांक 21.01.2024 को ग्राम दयारामपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर में खातेदारी भूमि खसरा संख्या 119 रकबा 1.6312 हेक्टेर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि राजस्व रिकार्ड अनुसार खसरा संख्या 119 ग्राम दयारामपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर खातेदारी भूमि आपके नाम दर्ज है, जिसमें बिना वैध अनुमति के खनिज चेजा पत्थर का अवैध भण्डारण किया हुआ पाया गया। जिसके संबंध में पुलिस थाना कानोता में प्राथमिकी संख्या 76 दिनांक 22.01.2024 से दर्ज कराई गई। मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरा नं. 119 में कुल खनिज की मात्रा 6643.62 टन का खनिज चेजा पत्थर का अवैध भण्डारण किया हुआ पाया गया, जिसमें नियमानुसार खनिज चेजा पत्थर की 10 गुणा रॉयल्टी/खनिज की कीमत राशि रु. 29,23,193/- शारित राशि के रूप में वसूलनीय है। आपकी खातेदारी भूमि में विभाग द्वारा कोई खनन व भण्डारण अनुमति/परमिट जारी नहीं है, अतः आपका उक्त कृत्य खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4 व 21 तथा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियम 54 एवं 60 का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसके तहत 5 वर्ष तक की सजा एवं अवैध खनन की मात्रा की 10 गुणा रॉयल्टी वसूली का प्रावधान है। आप उक्त कृत्य के लिये उक्तानुसार जुर्म के भागीदार हैं।

अतः आपको सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये इस कारण बताओं नोटिस के जरिये सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में आप कोई पक्ष, दस्तावेज/प्रमाण प्रस्तुत करना चाहते हो तो नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस में इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। अन्यथा बाद मियाद आपके विरुद्ध राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियम 54 एवं 60, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 व 21, राजस्थान कारशकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत खातेदारी भूमि में गैर खातेदारी उपयोग करने के कारण खातेदारी अधिकार निरस्त करने की एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379 के तहत कार्यवाही की जावेगी। सूचित रहें।

मवदीय



(श्रीकृष्ण शर्मा)


खनि अभियन्ता, जयपुर

दिनांक :- 25/01/2024

क्रमांक :- समसंख्यक/125-14/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान तहसीलदार तहसील बस्सी जिला जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. हल्का पटवारी जीतावाला श्री भोलाराम मीना पुत्रश्री रामअवतार मीना निवासी ग्राम विराजपुरा तह0बस्सी व
3. हल्का ग्राम विकास अधिकारी श्री कमिल मीरोठा ग्राम पंचायत जीतावाला को निर्देशित किया जाता है अग्रिम आदेश तक जब्त खनिज खुर्द-बुर्द ना हो तथा खुर्द-बुर्द की स्थिति में तत्काल पुलिस थाना कानोता को सूचित करे।
4. खनि कार्यदेशक/सर्वेयर सोनू अवस्थी कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि क्षेत्र में लगातार निगरानी रखे एवं यदि उक्त अवैध खनन/भण्डारण कार्य चालू पाया जावे तो अवैध खननकर्ताओं के विरुद्ध पुलिस थाना कानोता को सूचना तथा की गई कार्यवाही से तत्काल अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावे।



खनि अभियन्ता, जयपुर

खसरा नक्शा एवं जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 25/01/2024 03:55:17 PM


जिला : जयपुर

तहसील : बस्सी

भू. अ. नि. क्षेत्र : फाल्गुवास

पटवारी इल्का : जीतावाला

ग्राम : दयारामपुरा



Scale 1:2000

खसरा संख्या : 119 क्षेत्रफल : 1.6312 Hectare खाता संख्या : 72 पुराना खाता संख्या : 67

भूमि किस्म [क्षेत्रफल लगान.]: बारानी 2 [0.6322, 0.57], बारानी 3 [0.9990, 0.60]

- 1.) कैलाश पुत्र जयनारायण हिस्सा- 1/16 जाति- हरियाणा ब्राह्मण निवासी केशोपुरा तह.साँगानेर खातेदार
- 10.) रमेश चन्द पुत्र जयनारायण हिस्सा- 1/16 जाति- हरियाणा ब्राह्मण निवासी केशोपुरा तह.साँगानेर खातेदार
- 11.) शंकर लाल पुत्र नारायण हिस्सा- 1/12 जाति- ब्राह्मण सा. देह खातेदार
- 12.) सुवालाल पुत्र गोपाल हिस्सा- 1/60 जाति- ब्राह्मण सा. देह खातेदार
- 13.) सीताराम पुत्र गोपाल हिस्सा- 1/60 जाति- ब्राह्मण सा. देह खातेदार
- 14.) सीताराम पुत्र जयनारायण हिस्सा- 1/16 जाति- हरियाणा ब्राह्मण निवासी केशोपुरा तह.साँगानेर खातेदार
- 2.) कैलाशचन्द पुत्र गोपाल हिस्सा- 1/60 जाति- ब्राह्मण सा. देह खातेदार
- 3.) काना पुत्र रुघनाथ हिस्सा- 1/12 जाति- ब्राह्मण सा. देह खातेदार
- 4.) गुलाबचन्द पुत्र गोपाल हिस्सा- 1/60 जाति- ब्राह्मण सा. देह खातेदार
- 5.) छोटीलाल पुत्र लछम्या उर्फ लक्ष्मीनारायण हिस्सा- 1/6 जाति- ब्राह्मण सा. देह खातेदार
- 6.) जगदीश पुत्र जयनारायण हिस्सा- 1/16 जाति- हरियाणा ब्राह्मण निवासी केशोपुरा तह.साँगानेर खातेदार
- 7.) जगदीशप्रसाद पुत्र भोरीलाल पंचोली हिस्सा- 1/4 जाति- हरियाणा ब्राह्मण निवासी केशोपुरा तह.साँगानेर खातेदार
- 8.) थापादेवी पत्नि स्व. गोपाल हिस्सा- 1/60 जाति- ब्राह्मण सा. देह खातेदार
- 9.) भौरया पुत्र रुघनाथ हिस्सा- 1/12 जाति- ब्राह्मण सा. देह खातेदार

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

NIC-BHUNAKSHA

राजस्थान सरकार

दिनांक : 25/01/2024 03:55:17 PM

खसरा नक्शा एवं जमाबंदी(प्रतिलिपि)

भू. अ. नि. क्षेत्र : फाल्गुवांस

जिला : जयपुर

तहसील : बस्सी

पटवारी हल्का : जीतावाला

ग्राम : दयारामपुरा

2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
3. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें। ULPIN no : null

271087	9160010210	9160265432
--------	------------	------------

4

राजस्थान सरकार
संयुक्त मोंका पंचायत

मुख्य सचिव राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 20(22) खात/ग्रुप 2/2023 दिनांक 13/1/2024 की अनुपालना में अर्थ सचिव/निर्माण/गणराज्य के विस्तृत दिनांक 15/1/2024 से 31/1/2024 तक चलयमें जा रहे संयुक्त अफिलान के तहत राजस्व विभाग, खात/निर्माण, J.D.A मच जापता के संयुक्त दलो द्वारा आज दिनांक 21/1/2024 श्री. ग्राम दयाराजपुरा तह. बस्सी जिला जयपुर के खसरी सरख्या 3 रकबा 23.5956 हॅक्टर में पेटे खसरी चेंगा पत्पट का मोंका डेरवा जमा। वस्तु मोंका जॉच आराजी खसरा में खसरी दो अलग-2 टेरिची के रूप में धितराजा टुका पडा जाणा जमा। मोडे पटपेटे खसरी चेंगा पत्पट की नाप की जर्र जो निम्नानुसार है।

- ① 82 मी. x 12 मी. x 5 म x $\frac{1}{2}$ = 2460 m³ x 1.8 = 4428 टन
 - ② 19 मी. x 7 मी. x 1.5 मी = 199.5 m³ x 1.8 = 359.1 टन
- Total = 4787.10 टन

मोंके पट उपलब्ध हल्का पंचवारी दयाराजपुरा हल्का गीतांगला द्वारा राजस्व रिक्त का अवलोकन कर बताया कि उक्त खसरी गणराज्य खसरी मूनि खसरा नं: 3 रकबा 23.5956 हॅक्टर राजस्व जमा दयाराजपुरा तह. बस्सी जिला जयपुर में पडा है। कार्यलय रिक्त अनुसार उक्त आराजी खसरा में मोरे स्टोक करने की अनुमति जारी नहीं की जर्र है। मोडे पट उपलब्ध खसरी गणराज्य के सम्बन्ध में जोर्र वैध दस्तावेज डिप्टी के द्वारा भी पेश नहीं करते से उक्त

स्वतंत्रता के R-mmcR-2017 के तहत अर्थ स्वतंत्र/मछारण की
 नीति में आता है। उक्त स्वतंत्र मछारण के अंतर्गत दिशा में स्थित
 ज.प.अ. सी. जे.पु. पहाड़ी खसरा सरख्या 1 राजस्व ग्राम दफतारपुरा
 से अर्थ स्वतंत्र कर रहा ज.प.अ. ग्राम में मछारण किया जाता है।
 जो कि ज.प.अ. की संपत्ति से चोरी है। मौका स्थिति अनुसूचित मछारण
 स्वतंत्र स्वतंत्र के अंतर्गत 400 मी. उत्तरी दिशा में ज.प.अ. ग्राम जे.पु.
 पहाड़ी का खसरा सरख्या 1 राजस्व ग्राम दफतारपुरा पड़ता है। सिधे
 निगाह द्वारा केरि स्वतंत्र पड़ता। S.T.P. जारी रही है। जो कि
 पंचनामा बनाया जाकर पंच-कुनक हस्ताक्षर किये गये।

21/10/24
 21/10/24
 21/10/24

21/11/24
 21/11/24

21/11/24
 ME Jaipur

21/10/24
 PJ Koroja

MF/21/1/2024
 SME Jaipur

21/11/24
 Suman

AHE, JPR
 21/1/24

MF/21/1/24


जाती फर्द / स्वामिग सुपुर्कारी नामा

संयुक्त मंत्र पंचनामा आज दिनांक 21/11/2024 के अधिसूचना/पञ्चायत मे J.D.A अति स्वतंत्र खरव्या 3 रकबा 23.5956 हेक्टर राजस्व ग्राम कपरापुरा ७६-बस्ती जिला जयपुर मे स्वामिग पुलिमु राजस्व व J.D.A द्वारा अधिसूचना से अंशकित स्वामिग 4787.1072 (आमता) को जाप्त सरकार कट R.M.M.C.R-2017 के किल्ला 54460 के तहत किला जाकट स्वामिग की सुरक्षार्थ सुपुर्कारी J.D.A उहेमिषी श्रीमति स्वकमणी शर्मा I.L.R, जोत 13 जावि प्रा को की जाकट गिर्दारीत किला डि उक्त स्वामिग अगिग आदेश तह सुर्द-सुर्द जा हो, मविष्य मे जाकट केर सुर्द-सुर्द की स्थिति लगे ले तुदत पुलिप्त थाने मे सूचना को।

21/11/2024
J.L.P. 13

पञ्चायत
21/11/24

Sony
21/11/24
PS/Kumark



$26^{\circ}52'44''$, $75^{\circ}59'05''$ सोनढेरी
 $26^{\circ}52'44''$, $75^{\circ}59'06''$ सोनढेरी

21/01/2024
 ILD नं 73

21/1/24
 मन्जिपुर

21/01/24
 PS Anokh

21/1/24
 मन्जिपुर

21/1/24
 मन्जिपुर

21/01/24
 मन्जिपुर

21/1/24
 मन्जिपुर

21/1/24
 मन्जिपुर

21/1/24
 मन्जिपुर

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एवं जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 25/01/2024 03:58:42 PM


जिला : जयपुर

तहसील : बस्सी

भू. अ. नि. क्षेत्र : फाल्गवासा

पटवारी हल्का : जीतावाला

ग्राम : दयारामपुरा



Scale 1:5500

खसरा संख्या :3 क्षेत्रफल : 23.5956 Hectare खाता संख्या : 123पुराना खाता संख्या : 117

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: बारानी 3 [1.0369, 2.46], बंजड़ 2 [6.5501, 3.89], मै.सु.खारड़ा [16.0086]

1.) जयपुर विकास प्राधिकरण हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें। ULPIN no : null

राजस्थान सरकार
समुक्त मोंका पंचायत

26/11/23
26/11/23
27

समुक्त सचिव राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक न-20(22)सां/गुप 2/2023 दिनांक 13/1/2024 की अनुपालना में अनाईय खान/निर्माणा/गणारण के विरुद्ध दिनांक 15/1/2024 से 31/1/2024 तक चले जा रहे समुक्त आदिवासी केंद्र पर राजस्व, खान, पुरासि व J.D.A मजदूरी के समुक्त दलो द्वारा आज दिनांक 21/1/2024 को आज कथकापुरा (दे-बल्ली जिला गणपुर के खसरा संख्या 116, 120, 200/39 (J.D.A) रकबा 1.1001 ई, 6.4237 ई, 0.2800 ई) स्वतंत्र चेजा पापरा का मोका देना गला/वस्तु मोका जोय उक्त आराजी रकसरो मे स्वतंत्र अला-2 देरिलो मे दितराचा पडा पाचा गला। मोके पर पडे स्वतंत्र चेजा परलत की नपाई की गरी जो सिफागतुसाट है।

खसरा संख्या 116

- ① 25 देरिया 30 ल = 750 ल
- ② 22 देरिया 30 ल = 660 ल
- ③ 6 देरिया 30 ल = 180 ल

खसरा संख्या 120

- ① 9 देरिया 30 ल = 270 ल
- ② 23 देरिया 30 ल = 690 ल
- ③ 9 देरिया 30 ल = 270 ल
- ④ 46 देरिया 30 ल = 1380 ल
- ⑤ 44 देरिया 30 ल = 1320 ल
- ⑥ 60 देरिया 30 ल = 1800 ल

(Signature)

6230
total →

जपती फई / स्वतंत्र सुपुर्कारिनामा

संपुर्ण मौका पंचगाथा आज दिनांक 21/1/2024 से अर्बेच सतग/ गडारण मे खातेदारी शर्ति एव उ.ड.आ शर्ति स्वसरा स्वस्व्या 116, 120, 200/39 राजस्व गाथ कलारामपुरा नई-बस्सी जिला जपपुर मे स्वतंत्र, प्रालिस, राजस्व व उ.ड.आ हारा अर्बेच रूपमे स्तोके शिमे शिमे स्वतंत्र लजामगा 7800 ल स्वतंत्र प्येज पत्तल RMMCR-207 के तिलम 54 व 60 के तहत जत सरकार शिमे जाफत स्वतंत्र की सुरकार्य सुपुर्कारि हलक पवारी जीतावाला श्री मोलेराम मीणा श्री राजकवता मीणा तिलामी बिराजपुरा नई-बस्सी जिला जपपुर व गाथ विकास आधिकारी कमिल मीणा गाथ पंचायत जीतावाला राजस्व गाथ कलारामपुरा व उ.ड.आ उतितिषी श्रीमति रत्नमणी शर्मा जोन-13 उ.ड.आ को तिला जाफत तिक्रित तिला गाथ कि इ स्वतंत्र स्तोके अशिम आदेश लक खुई-खुई ग है। मविष्य मे आत केरि खुई-खुई की तखित बने लो पुस्तक लवधि प्रालिस.पाने को सूचित करे।


120/39 मीणा
U.D.A
UP जिलापत्तल

सम 4/1/2024
21/1/24

21/01/2024
24.9.200/39 कलिउ

Sony
21/01/24
PS Kanalka

SONA, JPR



Scale 1:4000

खसरा संख्या : 200/39 क्षेत्रफल : 0.8610 Hectare खाता संख्या : 123 पुराना खाता संख्या : 117

भूमि किस्म [क्षेत्रफल लगान] : बंजड़ 2 [0.8610, 0.13]

1.) जयपुर विकास प्राधिकरण हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें। ULPIN no : null

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, जयपुर
पंचम तल, खनिज भवन, तिलक मार्ग, सी स्कीम, जयपुर - 302 005
दूरभाष नं. 0141-2227404 email: me.jaipur@rajasthan.gov.in

क्रमांक :- खअ/जय/अना./2023-24/155

दिनांक :-25.01.2024

प्रेषित:-

1. श्रीमति मनमर देवी पत्निश्री कैलाशचन्द जाति मीना हिस्सा पूर्ण, निवासी ग्राम कानडियावाला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

विषय:- खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4 व 21 तथा राजस्थान अप्रधान खनिज खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियम 54 व 60 का उल्लंघन कर बिना अनुमति, ग्राम दयारामपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर में आप द्वारा खनिज चेजा पत्थर का अवैध भण्डारण किये जाने के संबंध में कारण बताओं नोटिस।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, जयपुर विकास प्राधिकरण एवं इस कार्यालय के सहायक खनि अभियन्ता व हल्का खनि कार्यदेशक-11 मय जावे के संयुक्त दलो द्वारा हल्का पटवारी दयारामपुरा के साथ, अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण की चैकिंग के दौरान दिनांक 21.01.2024 को ग्राम दयारामपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर में खातेदारी भूमि खसरा संख्या 116 रकबा 1.1001 हैक्टो का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि राजस्व रिकार्ड अनुसार खसरा संख्या 116 ग्राम दयारामपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर खातेदारी भूमि आपके नाम दर्ज है, जिसमें बिना वैध अनुमति के खनिज चेजा पत्थर का अवैध भण्डारण किया हुआ पाया गया। जिसके संबंध में पुलिस थाना कानोता में प्राथमिकी संख्या 74 दिनांक 22.01.2024 से दर्ज कराई गई। मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरा नं. 116 में कुल खनिज की मात्रा 1590 टन का खनिज चेजा पत्थर का अवैध भण्डारण किया हुआ पाया गया, जिसमें नियमानुसार खनिज चेजा पत्थर की 10 गुणा रॉयल्टी/खनिज की कीमत राशि रु. 6,99,600/- शास्ति राशि के रूप में वसूलनीय है। आपकी खातेदारी भूमि में विभाग द्वारा कोई खनन व भण्डारण अनुमति/परमिट जारी नहीं है, अतः आपका उक्त कृत्य खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4 व 21 तथा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियम 54 एवं 60 का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसके तहत 5 वर्ष तक की सजा एवं अवैध खनन की मात्रा की 10 गुणा रॉयल्टी वसूली का प्रावधान है। आप उक्त कृत्य के लिये उक्तानुसार जुर्म के भागीदार है।

अतः आपको सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये इस कारण बताओं नोटिस के जरिये सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में आप कोई पक्ष, दस्तावेज/प्रमाण प्रस्तुत करना चाहते हो तो नोटिस प्राप्त के 15 दिवस में इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। अन्यथा बाद मियाद आपके विरुद्ध राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियम 54 एवं 60, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 व 21, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत खातेदारी भूमि में गैर खातेदारी उपयोग करने के कारण खातेदारी अधिकार निरस्त करने की एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379 के तहत कार्यवाही की जावेगी। सूचित रहें।

महोदय

(श्रीकृष्ण शर्मा)

खनि अभियन्ता, जयपुर

दिनांक :- 25-01-2024

क्रमांक :- समसंख्यक/156-159

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान तहसीलदार तहसील बस्सी जिला जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. हल्का पटवारी जीतावाला श्री भोलेराम मीना पुत्रश्री रामअवतार मीना निवासी ग्राम विराजपुरा तह0बस्सी व
3. हल्का ग्राम विकास अधिकारी श्री कपिल भीरोठा ग्राम पंचायत जीतावाला को निर्देशित किया जाता है अग्रिम आदेश तक जब खनिज खुर्द-बुर्द ना हो तथा खुर्द-बुर्द की स्थिति में तत्काल पुलिस थाना कानोता को सूचित करे।
4. खनि कार्यदेशक/सर्वेयर सोनू अवस्थी कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि क्षेत्र में लगातार निगरानी रखे एवं यदि उक्त अवैध खनन/भण्डारण कार्य चातू पाया जावे तो अवैध खननकर्ताओं के विरुद्ध पुलिस थाना कानोता को सूचना तथा की गई कार्यवाही से तत्काल अघोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावे।

खनि अभियन्ता, जयपुर।

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एवं जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 25/01/2024 03:59:48 PM


जिला : जयपुर

तहसील : बस्ती

भू. अ. नि. क्षेत्र : फाल्गावास

पटवारी हल्का : जीतावाला

ग्राम : दयारामपुरा



Scale 1:2000

खसरा संख्या :116 क्षेत्रफल : 1.1001 Hectare खाता संख्या : 80पुराना खाता संख्या :75

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: बारानी 2 [1.1001, 0.99]

1.) मनभरदेवी पत्नि कैलाशचन्द्र हिस्सा- पूर्ण जाति- मीना निवासी ग्राम कानडियावाला तह. जमवा रामगढ जिला जयपुर खातेदार

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें। ULPIN no : null

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, जयपुर

पंचम तल, खनिज भवन, तिलक मार्ग, सी स्कीम, जयपुर - 302 005

दूरभाष नं. 0141-2227404 email: me.jaipur@rajasthan.gov.in

क्रमांक :- खअ/जय/अना./2023-24/142-150

दिनांक :-25.01.2024

प्रेषित:-

1. श्री नरसीलाल पुत्रश्री भौरया जाति मीना हिस्सा 52/635, निवासी ग्राम दयारामपुरा पटवारी हल्का जीतावाला तहसील बस्सी जिला जयपुर।
2. श्री नाथी देवी पत्नि लक्ष्मीनारायण जाति मीना हिस्सा 41/510, निवासी ग्राम दयारामपुरा पटवारी हल्का जीतावाला तहसील बस्सी जिला जयपुर।
3. श्री बाबूलाल पुत्रश्री भौरया जाति मीना हिस्सा 52/635, निवासी ग्राम दयारामपुरा पटवारी हल्का जीतावाला तहसील बस्सी जिला जयपुर।
4. श्री मोहन पुत्रश्री भौरया जाति मीना हिस्सा 1/5, निवासी ग्राम दयारामपुरा पटवारी हल्का जीतावाला तहसील बस्सी जिला जयपुर।
5. श्री रमेश पुत्रश्री लक्ष्मीनारायण जाति मीना हिस्सा 41/510 निवासी ग्राम दयारामपुरा पटवारी हल्का जीतावाला तहसील बस्सी जिला जयपुर।
6. श्री राजू पुत्र स्व. रामसहाय, जाति मीना हिस्सा 15/127, निवासी 29 मीनावाला सिरसी रोड जिला जयपुर।
7. श्री राजू मीणा पुत्र स्व. रामसहाय, जाति मीना हिस्सा 30/127, निवासी 29 मीनावाला सिरसी रोड जिला जयपुर।
8. श्री रामफूल पुत्रश्री भौरया जाति मीना हिस्सा 52/635, निवासी ग्राम दयारामपुरा पटवारी हल्का जीतावाला तहसील बस्सी जिला जयपुर।
9. श्रीमति सन्तोष देवी पत्नि देवीलाल करोल जाति मीणा हिस्सा 2/51 निवासी बाढ करोलान जगतपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

विषय:- खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4 व 21 तथा राजस्थान अप्रधान खनिज खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियम 54 व 60 का उल्लंघन कर बिना अनुमति, ग्राम दयारामपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर में आप द्वारा खनिज चेजा पत्थर का अवैध भण्डारण किये जाने के संबंध में कारण बताओ नोटिस।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, जयपुर विकास प्राधिकरण एवं इस कार्यालय के सहायक खनि अभियन्ता व हल्का खनि कार्यदेशक-11 मय जाबले के संयुक्त दलों द्वारा हल्का पटवारी दयारामपुरा के साथ, अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण की चैकिंग के दौरान दिनांक 21.01.2024 को ग्राम दयारामपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर में खातेदारी भूमि खसरा संख्या 120 रकबा 6.4237 हैक्टे0 का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि राजस्व रिकार्ड अनुसार खसरा संख्या 120 ग्राम दयारामपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर खातेदारी भूमि आपके नाम दर्ज है, जिसमें बिना वैध अनुमति के खनिज चेजा पत्थर का अवैध भण्डारण किया हुआ पाया गया। जिसके संबंध में पुलिस थाना कानोता में प्राथमिकी संख्या 74 दिनांक 22.01.2024 से दर्ज कराई गई। मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरा नं. 120 में कुल खनिज की मात्रा 5730 टन का खनिज चेजा पत्थर का अवैध भण्डारण किया हुआ पाया गया, जिसमें नियमानुसार खनिज चेजा पत्थर की 10 गुणा रॉयल्टी/खनिज की कीमत राशि रु. 25,21,200/- शास्ति राशि के रूप में वसूलनीय है। आपकी खातेदारी भूमि में विभाग द्वारा कोई खनन व भण्डारण अनुमति/परमिट जारी नहीं है, अतः आपका उक्त कृत्य खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4 व 21 तथा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियम 54 एवं 60 का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसके तहत 5 वर्ष तक की सजा एवं अवैध खनन की मात्रा की 10 गुणा रॉयल्टी वसूली का प्रावधान है। आप उक्त कृत्य के लिये उक्तानुसार जुर्म के भागीदार हैं।

अतः आपको सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये इस कारण बताओ नोटिस के जरिये सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में आप कोई पक्ष, दस्तावेज/प्रमाण प्रस्तुत करना चाहते हो तो नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस में इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। अन्यथा बाद मियाद आपके विरुद्ध राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियम 54 एवं 60, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 व 21, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत खातेदारी भूमि में गैर खातेदारी उपयोग करने के कारण खातेदारी अधिकार निरस्त करने की एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379 के तहत कार्यवाही की जावेगी। सूचित रहे।

भवदीय

(श्रीकृष्ण शर्मा)

खनि अभियन्ता, जयपुर

दिनांक :- 25-01-2024


क्रमांक :- समसंख्यक/151-154

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान तहसीलदार तहसील बस्सी जिला जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. हल्का पटवारी जीतावाला श्री भोलाराम मीना पुत्रश्री रामअवतार मीना निवासी ग्राम विराजपुरा तह0बस्सी व
3. हल्का ग्राम विकास अधिकारी श्री कपिल भीरोडा ग्राम पंचायत जीतावाला को निर्देशित किया जाता है अग्रिम आदेश तक जब्त खनिज खुर्द-बुर्द ना हो तथा खुर्द-बुर्द की स्थिति में तत्काल पुलिस थाना कानोता को सूचित करे।
4. खनि कार्यदेशक/सर्वेयर सोनू अवस्थी कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि क्षेत्र में लगातार निगरानी रखे एवं यदि उक्त अवैध खनन/भण्डारण कार्य चालू पाया जावे तो अवैध खननकर्ताओं के विरुद्ध पुलिस थाना कानोता को सूचना तथा की गई कार्यवाही से तत्काल अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावे।

Reykh
5/2/2024

25/1/24
खनि अभियन्ता, जयपुर।



Scale 1:5500

खसरा संख्या :120 क्षेत्रफल : 6.4237 Hectare खाता संख्या : 104 पुराना खाता संख्या : 97

भूमि किस्म [क्षेत्रफल लगान] : बारानी 2 [6.4237, 22.86]

- 1.) नरसीलाल पुत्र भौरया हिस्सा- 52/635 जाति- मीना सा. देह खातेदार हिस्सा-37/762 (पूर्ण खाता) ऑरियन्टल बैंक ऑफ कार्मस शाखा कानोता
- 2.) नाथी देवी पत्नि लक्ष्मीनारायण हिस्सा- 41/510 जाति- मीना सा. देह खातेदार
- 3.) बाबूलाल पुत्र भौरया हिस्सा- 52/635 जाति- मीना सा. देह खातेदार हिस्सा-37/762 (पूर्ण खाता) ऑरियन्टल बैंक ऑफ कार्मस शाखा कानोता
- 4.) मोहन पुत्र भौरया हिस्सा- 1/5 जाति- मीना सा. देह खातेदार हिस्सा-1/6 (पूर्ण खाता) ऑरियन्टल बैंक ऑफ कार्मस शाखा कानोता
- 5.) रमेश पुत्र लक्ष्मीनारायण हिस्सा- 41/510 जाति- मीना सा. देह खातेदार
- 6.) राजू पुत्र स्व.रामसहाय हिस्सा- 15/127 जाति- मीना नि. 29 मीनावाला सिरसी रोड़ जयपुर खातेदार
- 7.) राजू मीणा पुत्र स्व.रामसहाय हिस्सा- 30/127 जाति- मीना नि. 29 मीनावाला सिरसी रोड़ जयपुर खातेदार
- 8.) रामफूल पुत्र भौरया हिस्सा- 52/635 जाति- मीना सा. देह खातेदार हिस्सा-37/762 (पूर्ण खाता) केनरा बैंक शाखा कानोता
- 9.) सन्तोषदेवी पत्नि देवीलाल करोल हिस्सा- 2/51 जाति- मीणा नि. बाढ करोलान जगतपुरा तहसील सांगानेर खातेदार

सक्षम अधिकारि के हस्ताक्षर एवं सील

- नोट :-
१. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
 २. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
 ३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें। ULPIN no : null

राजस्थान सरकार
संयुक्त मौका पंचनामा

जीमान मुख्य सचिव राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.20
 (22) खान / गुप 2 / 2023 दिनांक 13/01/2024 की अनुषंगाना में अवैध
 खनन / निर्गमन / भण्डारण के विरुद्ध दिनांक 15/01/2024 से
 31/01/2024 तक चलाये जा रहे संयुक्त अभियान के तहत राजस्व
 विभाग व खान विभाग के ज्ञात आस दिनांक 28/01/2024 के ग्राह
 दपारादपुरा तहसील बस्ती पिना लपपुर के खसरा संख्या 103
 रकबा 1.1381 हे० में पड़े खनिज का मौका देखा गया वक्त मौका
 आतापी खसरा में खनिज -वेजा पल्पर दो अलग-अलग फाटो
 पर डेरियो के रूप में एवं धिताया हुआ पडा पाया गया। मौके
 पर उक्त खसरे में एक फाट पर लगभग 10 डेरियो में कुल
 30 टन की डेरी पडी हुई मिला तथा दूसरी फाट लगभग 22
 डेरियो कुल 30 टन की पडी हुई मिला कुल 960 टन
 खनिज उक्त खसरे में पडा हुआ मिला। मौके पर उपस्थित
 डब्का पटवारी दपारादपुरा डब्का पीतावाला द्वारा राजस्व विभाग
 का अपबोकेन कर बताया कि उक्त भण्डारित खनिज खातेडगी
 संख्या 103 रकबा 1.1381 हे० राजस्व ग्राह दपारादपुरा तहसील
 पिना लपपुर में पडा है। कार्यालय विभाग अनुसार उक्त आतापी
 खसरा में कोई स्टोम करने की अनुमति मिली नहीं की गई है।
 मौके पर पड़े खनिज भण्डारण के सम्बन्ध में कोई वैध कागजात
 मिली के द्वारा पैदा नहीं करने से उक्त खनिज को R.P.M.C.P.
 2017 के नियम 54 व 60 के तहत अवैध खनन / भण्डारण की
 श्रेणी में आता है। मौका स्थिति अनुसार भण्डारित खनिज रचात
 से लगभग 800 मी. उत्तरी दिशा में 5.5.1 दिशत में घु. पयाडी
 का खसरा संख्या 1 राजस्व ग्राह दपारादपुरा पडा है। विभाग
 विभाग द्वारा कोई खनन पथ्य / STP जारी नहीं वरुं पिलले अवैध
 खनन कर अवैध रूप से भण्डारण स्पष्ट है। कार्यालय के डेजान
 मौके पर महेय मीना पुत्र ही रामगोपाल मीना उम्र लगभग 34
 साल निवासी दपारादपुरा तहसील बस्ती पिना लपपुर उपस्थित
 हुआ पिलले द्वारा बताया गया उक्त भण्डारित खनिज में से
 एक ओर मेरे द्वारा तथा दूसरी डेरी वन्टी शर्मा 5/0 नारायण थरानि
 निवासी दपारादपुरा द्वारा भण्डारित की गई है। मौके पर खनिज

के अन्तर्गत संबंधित क्षेत्रों में पस्तावेद प्रस्तुत नहीं करने के
 खनिज का अवैध अन्तर्गत किया जाना स्पष्ट है जो की RMPER
 2017 के नियम 54 व 60 के नियमों का उल्लंघन है उक्त खनिज
 उत्तर दिशा में स्थित ज.ड.प. भूमी की पट्टी के मु. यकत संख्या 01
 राजस्व ग्राहक जयदामपुरा से अवैध खनन कर योगी लं बाबा पाकर
 खातेदारी भूमी में अन्तर्गत किया गया है जो की ज.ड.प. की सम्पत्ति
 की जोषी है। सम्पुक्त मौका पंचनामा बनाया जाकर पत्र-सुतांक
 प्रस्तावित किया गया।


म/म
 पत्र/28/11/24

सिद्धाजी
 राजगोपाल
 मो. नं. 9929583517

म/म
 28/11/2024
 Suresh

श. महेश मीना 5/0 राजगोपाल मीन
 निवासी जयदामपुरा तहसील वस्ती

मजरी नक्शा निकट ग्राम दयारामपुरा - दिनांक 28/01/24
 तखनीन अस्ली जिना लखपुर




[Signature]
 28/1/24

28/01/2024
 Syam2

जल्दी फर्द / खनिज सुपुर्कगीनामा

संयुक्त मौका पंचनामा आद दिनांक 28/01/2024 में अवेध /
खनिज भण्डारण में खातेदारी अर्था संख्या 103 रकबा 1-1381 ई०
राजस्व ग्राहक इपाराहपुरा तह वल्ली जिला पपपुरा में खनिज
व राजस्व विभाग द्वारा अवेध रूप से भण्डारित खनिज ~~का~~ चेपा
पत्थर लगभग 960 टन को R.M.M.V.R 2017 के नियम 54 व
60 के तहत जलत सरकार किये जाकर खनिज की सुरक्षा
सुपुर्कगी इन्का पटवारी पीतावावा सी अवेध सीना 510 सी राहवतार
सीना निवासी ग्राहक विराहपुरा तह वल्ली जिला पपपुरा की की
जाकर निर्दिष्ट किये गए कि उक्त खनिज का अग्रिम आदेश
तक सुरी-सुरी ना हो, अथवा में यदि सुरी-सुरी की स्थिति में
तो तुरंत सम्बन्धित पुलिस थाने को सूचित करें।


पमजीतावावा
28/1/24

राजस्थान सरकार
कार्या. खनिज विभाग, जयपुर
संयुक्त मौका परीक्षा

श्रीमान मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक पं० 20
(22) खान। गुप-2। 2023 दिनांक 13/01/2023 की अनुपालना में
अर्बेख खनन। निगमन। भण्डारण के विरुद्ध दिनांक 15/01/2024 से
31/01/2024 तक चलाये जा रहे संयुक्त अभियान के तहत राजस्व
विभाग व खान विभाग के द्वारा भाष्य दिनांक 29/01/2024 को
कन्ट्रोल रूम, निदेशालय जयपुर से प्राप्त शिकायत सं. 147
ग्राम दयारामपुरा तह. बस्सी, जयपुर कम्पना नगर उप
स्कीम के खसरा नं. 7 में क्वार्टर का अर्बेख खनन हो रहा है,
की जांच हेतु शिकायती स्थल पर पहुंचे। मौके पर टोका
पश्चिमी की उपस्थिति खसरा नं. 7 का मौका देखा गया। उक्त
खसरे में किसी प्रकार का कोई अर्बेख खनन। भण्डारण टोना
नहीं पाया गया। उक्त खसरे के पास में ही स्थित खसरा नं.
10 एकबा 2370 हेक्टर (2.1370 हे.) राजस्व ग्राम दयारामपुरा
तह. बस्सी में खनिज जेवापत्तर का स्पॉट ढेरियों के रूप में
फिल्टरया हुआ पड़ा पाया गया। मौके पर उक्त आराजी (खसरा
नं. 10) खसरा में लगभग 25 ढेरियों सत्येक 20 टन की (कुल
500 टन) खनिज जेवापत्तर की पड़ी हुई मिली। कार्या. 0
रिकार्ड अनुसार उक्त आराजी खसरा में कोई स्टॉक करने की
अनुमति जारी नहीं की गयी है। मौके पर पड़े खनिज भण्डारण
के संबंध में कोई क्वैरिज कागजात किसी के द्वारा पेश नहीं
करने से उक्त खनिज का भण्डारण RMMCR 2017 के
मिथम 54 व 60 के तहत अर्बेख खनन/भण्डारण की श्रेणी
में आता है। मौका स्थिति अनुसार भण्डारित खनिज स्थान
से लगभग 500 मी. उत्तरी दिशा में उपर स्थित गैर
मुमकिन पधड़ी का खसरा सं. 01 राजस्व ग्राम -
दयारामपुरा पड़ता है जिसमें विभाग द्वारा कोई खननपत्र।

S.T.P. जारी नहीं है जिससे अवैध खनन कर अवैध मजदारी
 किया जाना स्पष्ट है। उक्त खनिज JDA भूमि की पहाड़ी राजस्व
 ग्राम दयारामपुरा से अवैध खनन कर चोरी से छपा जाकर
 खातेदारी भूमि में मजदारी किया गया है जो कि JDA की
 सम्पत्ति की चोरी है। संयुक्त मौका पंचनामा बनाया जाकर
 पढावनाई समय मौके पर श्री रामफूल शिवाजी लक्ष्मीनारायण
 मीणा, श्री महेशचन्द्र शिवाजी गोपाल मीणा, श्री महेश
 कुमार शिवाजी रामगोपाल मीणा निवासी ग्राम दयारामपुरा
 तहसील बस्सी विषा बयपुर उपस्थित हुए, इन्होंने बताया कि
 उक्त स्थान नन्दु शर्मा शिवाजी नारायण शर्मा निवासी ग्राम
 कानीता तहसील बस्सी द्वारा अवैध रूप से किया जाना बताया
 गया। मौके पर संयुक्त मौका पंचनामा बनाया जाकर
 उपस्थित को पढासुनाकर दस्तावेज फरवाए गए।

महेश चन्द्र
 महेशचन्द्र शिवाजी गोपाल लाल
 0350696011

महेश मीणा
 शिवाजी मीणा
 9924582517

29/01/24
 S. M. S.

रामफूल
 29/01/24


S. M. S.
 29/01/24

रामफूल मीणा 50% लक्ष्मीनारायण मीणा

8000288835




बन्तीफर्द / खनिज सुपुर्दगीनामा

संयुक्त मॉजापंचनामा आद्य दिनांक २९/०१/२०२५ में सर्वेक्ष
खनन/अन्वेषण में खातेदारी भूमि सं. १० रकबा २-१३७०
है० राजस्व ग्लाम दरारामपुरा तह० बस्सी बिहा बयपुर
में खनिज व राजस्व विभाग द्वारा अवैध रूप से अन्वेषित
खनिज जेजापत्पर लगभग ५०० टन को RMMCR
२०१७ के नियम ५५ व ६० के तहत अन्वेषण किया
जाकर खनिज की सुरक्षार्थ सुपुर्दगी हफ्ता पश्चारी
जीतावाहा श्री मोखेराम भीणा श० श्री रामवतार
भीणा निवासी ग्लाम दरारामपुरा तह० बस्सी बिहा
बयपुर को दो जाकर निर्देशित किया जाकर
उक्त खनिज का अन्तिम आदेशों तक खुर्द-बुर्द ना हो
नामविषय में यदि खुर्द-बुर्द की स्थिति बने तो तुरन्त
संबन्धित पुलिस धाना को सूचित करे।


२९/०१/२०२५

नपरिया नक्शा

नि० ग्राम दयारामपुरा तह बस्ती बिवा जयपुर के
खसरा न० 10 रकबा 2.1370 हेक्टर




बिबिशा शर्मा (फार्म हाउस)



26°52'37"
75°59'00"

खमिजचे बापल्वर
की बेरियां



MP/29/01/24

29/1/24

29/01/24
Surveyor

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): जयपुर सिटी (पूर्व) P.S. (थाना): बनोता Year (वर्ष): 2024

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं.): 0060 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 20/01/2024 09:07 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भा दं सं 1860	379
2	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	4
3	घान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	21
4	राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017	54
5	राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017	60

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): गुरुवार Date From (दिनांक से): 18/01/2024 Date To (दिनांक तक): 18/01/2024
Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 00:00 बजे Time To (समय तक): 23:59 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 20/01/2024 Time (समय): 08:54 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 017 Date & Time (दिनांक एवं समय): 20/01/2024 08:54:00 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): उत्तर, 12 किमी Beat No. (बीट सं.): सेवापुरा

(b) Address(पता): NEAR RAJIV GANDHI PATHSHALA, VILLAGE GHATA, TEH. BASSI JAIPUR

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S. (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): SH. LAXMICHAND MEENA

(b) Father's Name (पिता का नाम): LATE SH. RAMCHARAN MEENA

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1987

(d) Nationality(राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue

Place of Issue

(जारी करने की तिथि):

(जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पारपत्र, आधार कार्ड सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number
-------	---------	-----------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	VILAGE CHHOTI UDAI, PS PILODA DIST. GANGAPUR CITY, कानोता, जयपुर सिटी (पूर्व), राजस्थान, भारत
2	स्थायी पता	VILAGE CHHOTI UDAI, PS PILODA DIST. GANGAPUR CITY, कानोता, जयपुर सिटी (पूर्व), राजस्थान, भारत

(j) Phone number (दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.): 91-9166477711

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	अज्ञात1			

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)

(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नर्तकी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
-----------------	-------------------------------------	------------------------------------	---------------------	--------------------------------

10. Total value of property stolen (In Rs/-)

(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)
--------------------	--------------------------------------

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)

(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नली करे)):

राजस्थान सरकार दिनांक 19/01/2024 श्रीमान थानाधिकारी पुलिस थाना कानोता तहसील बस्सी जिला जयपुर विषय:- प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने बाबत। महोय उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्रीमान मुख्य सचिव राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 20(22) खान/ग्रुप 2/2023 दिनांक 13/01/2024 की पालना में अवैद्य खनन/निर्गमन/भण्डारण के विरुद्ध दिनांक 15/01/2024से 31/01/2024 तक चलाये जा रहे संयुक्त अभियान के तहत राजस्व विभाग खान विभाग पुलिस विभाग व जेडीए विभागों के संयुक्त दल द्वारा आज दिनांक 18/01/2024 को ग्राम घाटा तहसील बस्सी जिला जयपुर के राजीव गांधी पाठशाला जूनवालों की ढाणी के पास स्थित आराजी खसरा न. 216 रकवा 1.024 है. में पड़े खनिज का मौका देखा गया। वक्त मौका जांच उक्त आराजी खसरा में खनिज ढेरियों के रूप में एवं छितराया हुआ पड़ा पाया गया। पड़े खनिज चेजा पत्थर की नाप की गई जो कि निम्नानुसार है-

1. ढेरियां प्रत्येक 30 MT (टन) – 150 टन
 2. लगभग 22 ढेरिया प्रत्येक 30 MT – 660 टन
 3. लगभग 20 ढेरियां प्रत्येक 30 MT – 600 टन
- कुल – 1410 टन

मौके पर उपस्थित हल्का पटवारी द्वारा राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन कर बताया कि उक्त खातेदारी भूमि ख. न. 216 रकवा 1.024 है. में ही पड़ा है जिसके खातेदार श्री विश्राम भीणा पुत्र श्री घमण्डीराम भीणा जाति भीणा निवासी गावडा तहसील हिंगडौन जिला करौली हाल निवासी ए 142 नन्दपुरी कॉलोनी जगतपुरा जयपुर है कार्यालय रिकार्ड अनुसार उक्त आराजी खसरा में विभाग द्वारा कोई स्टॉक करने की अनुमति जारी नहीं की गई जिससे स्पष्ट है कि उक्त खनिज स्टॉक अवैद्य खनन क्षेत्रों से प्राप्त कर अवैद्य भण्डारण किया गया है। मौके पर खातेदार/प्रतिनिधि कोई उपस्थित नहीं मिला। उक्त अवैद्य स्टॉक से लगभग 500 पीटर दक्षिण दिशा में राजस्व ग्राम घाटा गै. मु. पहाड खसरा न. 241 रकवा 38 है. पड़ता है जिसमें अवैद्य खनन के निशानात दिखाई दिये जिससे स्पष्ट है कि अवैद्य खनिज अवैद्य खनन स्टॉक अवैद्य खनन कर किया गया है। मौके पर आस पास के ग्रामीण उपस्थित रहे लेकिन अवैद्य स्टॉक किस व्यक्ति द्वारा किया गया है कि जानकारी नहीं बताई। उक्त स्टॉक राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियम 54, 60 के तहत अवैद्य की श्रेणी में आता है। उक्त खातेदारी में खनिज का स्टॉक अवैद्य रूप किया गया है तथा स्पष्ट है कि उक्त अवैद्य स्टॉक खातेदार की सहमति से किया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि खातेदार के विरुद्ध एमएमडीआर एक्ट की धारा 1957 की धारा 4 व 21 चूंकि खनिज की खोज कर अवैद्य रूप से स्टॉक किया है अतः आईपीसी की धारा 379 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही कराने का श्रम कराये।

1. संयुक्त मौका पंचनामा
2. नजरी नक्शा
3. खनिज सुपुर्दगी/जब्त फर्द
4. मौके की फोटोग्राफ

लक्ष्मी चन्द भीणा सहायक खनि अभियन्ता जयपुर 9166477711 खनिज विभाग जयपुर समय 4.20पीएम

..... कार्यवाही पुलिस थाना कानोता जयपुर पूर्व प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थी श्री लक्ष्मीचन्द भीणा पुत्र स्व. श्री रामचरण भीणा उम्र 37 साल निवासी छोटी उदई पीएस पिलोदी जिला गंगपुर सिटी हाल सहायक खनिज अभियन्ता कार्यालय जयपुर ने उप. थाना लिखित रिपोर्ट मय पंचनामा जब्त सुपुर्दगी फर्दों के पेश की मजबूत रिपोर्ट से मामला अपराध धारा 379 आईपीसी व धारा 4/21 एमएमडीआर नियम 54, 60 2017 के बू में आना पाया जाने से प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान श्री शिवदयाल सउनि के जिम्मे किया गया एफआईआर की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई एफआईआर क्रमांक पृथक से अंकित होगा।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.):
(जाँच अधिकारी का नाम):

SHIVDAYAL SINGH Rank
(पद):

सहायक उप - निरीक्षक

No(सं.):

to take up the investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused investigation due to
(जाँच के लिए):

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना):

District (जिला):


on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R.read over to the complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.


(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति नि:शुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb Impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):



Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)



15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): Ramniwas Meena

Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

No(सं.):

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District

(जिला): जयपुर सिटी (पूर्व)

P.S.

(थाना): कानोता

Year

(वर्ष): 2024

2. FIR No.

(प्र.सू.रि.सं.): 0077

Date and Time of FIR

(एफआईआर की तिथि/समय):

22/01/2024 03:26 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भा दं सं 1860	379
2	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	4
3	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	21
4	सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984	3

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): रविवार

Date From

(दिनांक से): 21/01/2024

Date To

(दिनांक तक): 21/01/2024

Time Period

(समय अवधि): पहर

Time From

(समय से): 00:00 बजे

Time To

(समय तक): 23:59 बजे

(b) Information received at P.S.

(थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):

Date

(दिनांक):

22/01/2024

Time

(समय):

03:15 बजे

(c) General Diary Reference

(रोजनामचा संदर्भ):

Entry No.

(प्रविष्टि सं.):

013

Date & Time

(दिनांक एवं समय)

22/01/2024 03:15:00 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार):

लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S.

(थाने से दिशा और दूरी):

पूर्वोत्तर, 7 किमी

Beat No.

(बीट सं.):

दयारामपुरा

(b) Address(पता): GRAM DAYARAMPURA, TEH. BASSI JAIPUR

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then

(यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S

(थाना का नाम):

District(State)

(जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): SH. RINKU KOLI

(b) Father's Name (पिता का नाम): LATE SH. RAMSWAROOP KOLI

(c) Date/Year of Birth
(जन्म तिथि/ वर्ष): 1993

(d) Nationality (राष्ट्रियता): भारत

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue

Place of Issue

(जारी करने की तिथि):

(जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पारपत्र, आधार कार्ड सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number
-------	---------	-----------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	HAL SARVEYAR, OFFICE OF THE KHANIJ, ABHIYANTA JAIPUR, प्रतापनगर(जयपुर सिटी (पूर्व)), जयपुर सिटी (पूर्व), राजस्थान, भारत
2	स्थायी पता	48, BAL NAGAR KARTARPURA, MAHESH NAGAR JAIPUR, महेश नगर, जयपुर शहर (दक्षिण), राजस्थान, भारत

(j) Phone number

(दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.): 91-9602720423

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	अज्ञात1			

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)

(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
-----------------	-------------------------------------	------------------------------------	---------------------	--------------------------------

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)
--------------------	--------------------------------------

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)

(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवा में श्रीमान थानाधिकारी पुलिस थाना कानोता विषय:- प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने बावता महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मुख्य सचिव राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 20(22) खान/गुप.2/2023 दिनांक 13/1/24 की अनुपालना में अवैद्य खनन/निर्गमन/भण्डारण के विरुद्ध दिनांक 15/01/24 से 31/1/24 तक चलाये जा रहे संयुक्त अभियान के तहत राजस्व खान पुलिस व जेडीए मय जासा के संयुक्त दलों द्वारा आज दिनांक 21/1/24 को ग्राम दयारामपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर के खसरा न. 110/1 रकबा 2.8198 हैक्टयर में पड़े खनिज चेजा पत्थर का मौका देखा। वक्त मौका जांच उक्त आराजी खसरा में खनिज ढेरियों के रूप में एवं छितराया हुआ पडा पाया गया। मौके पर पड़े खनिज की नाप की गई जो निम्नानुसार (1) 35 मी. X 22मी. X 0.5 मी.- 693 टन (2) 20 ढेरियां प्रत्येक 30 टन- 600 टन कुल 1293 टन पाया गया है। मौके पर उपस्थित हल्का पटवारी दयारामपुरा हल्का जीतावाला द्वारा राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन कर बताया कि उक्त खनिज भण्डारण खातेदारी भूमि खसरा न. 110/1 रकबा 2.8198 है. राजस्व ग्राम दयारामपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर में पडा है। कार्यालय रिकॉर्ड अनुसार उक्त आराजी खसरा में विभाग द्वारा कोई स्टॉक करने की अनुमति जारी नहीं है। मौके पर पड़े खनिज भण्डारण के सम्बन्ध में कोई वैद्य कागजात किसी के द्वारा पेश नहीं करने से उक्त खनिज भण्डारण राजस्थान अधिधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियम 54, 60 के तहत अवैद्य खनन/भण्डारण की श्रेणी में आता है। उक्त खनिज भण्डारण से लगभग 600 मीटर उत्तरी दिशा में जेडीए स्थित गै. मु. पहाडी का खसरा संख्या 1 राजस्व ग्राम दयारामपुरा तहसील बस्सी जिला में पडता है जिसमें विभाग द्वारा कोई वैद्य खननपट्टा/S.T.P जारी नहीं की गई है जिससे अवैद्य खनन/भण्डारण किया गया है। उक्त पहाडी अरावली हिल्स में पडती है जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (N.G.T) भोपाल द्वारा खनन प्रतिबंधित है। अत उक्त अवैद्य खनन माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण भोपाल के आदेशों की अवहेलना करने तथा राजकीय सम्पत्ति की चोरी कर नुकसान पहुंचाने एवं अवैद्य खनन किये जाने से एमएमडीआर एक्ट 1957 की धारा 4,21 व आईपीसी धारा 379 व 3पीडीपीपी एक्ट के तहत मौके पर प्राप्त स्थानीय ग्रामीणों से मिली जानकारी अनुसार अवैद्य भण्डारण कर्ता मुकेश, रमेश पुत्र श्री रामकिशोर शर्मा निवासी दयारामपुरा (बस्सी) के विरुद्ध कार्यवाही कराने का थ्रम करावें। उपस्थित ग्रामीणों ने हस्ताक्षर करने से मना किया। संलग्न 1. संयुक्त मौका पंचनामा 2. जव्ती फर्द/खनिज.सुपुर्दगीनामा 3. मौका नजरी नक्शा, फोटोग्राफस भवदीय रिकू कोली पद सर्वेयर कार्या. खनि अभियंता जयपुर 9602720423 प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त रिपोर्ट तहरीरी श्री रिकू कोली पुत्र स्व. कार्यवाही पुलिस श्री रामस्वरूप कोली जाति कोली उम्र 31 वर्ष निवासी प्लॉट न. 48 बाल नगर करतारपुरा पीएस महेश नगर जयपुर हाल सर्वेयर कार्यालय खनिज अभियन्ता जयपुर ने उपस्थित थाना होकर पेश की। जिसकी नकल सीसीटीएनएस कम्प्यूटर पर अक्षरसः की गई। मजमून रिपोर्ट से मामला अपराध धारा 4/21 MMDR ACT व 3 PDPP ACT व धारा 379 IPC का वकू में आना पाया जाने पर अभियोग पंजीबद्ध कर अनुसंधान मन थानाधिकारी भगवान सहाय मीणा पुलिस थाना कानोता मशरुफ तफतीश हुआ। एफआईआर क्रमांक सीसीटीएनएस जनित होने पर पृथक से अंकित किये जायेंगे। एफआईआर प्रतियां नियमानुसार किता की गई।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) w/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख द्वारा के तहत है):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):
Bhagwan Shay (निरीक्षक) / or (या)

(2) Directed (Name of I.O.): Rank
(जाँच अधिकारी का नाम): (पद):

No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused Investigation due to
(जाँच के लिए):

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना):

District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.


(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति नि:शुल्क शिकायतकर्ता को दी गई)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Bhagwan Sahel
Moens
Location: Rajasthan, India
Date: 22/01/2024 09:15:17



15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): Bhagwan Shay

Rank (पद): 1 (Inspector)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):
Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(if known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरणः(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Buld (बनावट)	Height(cms.) (ऊँचाई(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिह्न)
1	2	3	4	5	6	7
1						

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दंत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूँदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)

3

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): जयपुर सिटी (पूर्व) P.S. (थाना): कानोता Year (वर्ष): 2024

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0076 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 22/01/2024 03:11 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भा दं सं 1860	379
2	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	4
3	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	21
4	सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984	3

1. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): रविवार Date From (दिनांक से): 21/01/2024 Date To (दिनांक तक): 21/01/2024
Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 00:00 बजे Time To (समय तक): 23:59 बजे
(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 22/01/2024 Time (समय): 02:56 बजे
(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 012 Date & Time (दिनांक एवं समय): 22/01/2024 02:56:00 बजे

1. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

2. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): पूर्वोत्तर, 7 किमी Beat No. (बीट सं.): दयारामपुरा

(b) Address(पता): GRAM DAYARAMPURA, TEH. BASSI JAIPUR

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

1. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): SUSHREE SONU AVASTHI

(b) Father's Name (पिता का नाम): SH. VISHAMBHAR DAYAL AVASTHI

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1992

(d) Nationality(राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue

Place of Issue

(जारी करने की तिथि):

(जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पारपत्र, आधार कार्ड सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number
-------	---------	-----------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	HAL SARYEWAR, OFFICE OF THE KHANIJ, ABHIYANTA JAIPUR, प्रतापनगर(जयपुर सिटी (पूर्व)), जयपुर सिटी (पूर्व), राजस्थान, भारत
2	स्थायी पता	VILLAGE KAMALPURA, PS MAHWA DIST DAUSA, महुआ, दौसा, राजस्थान, भारत

(j) Phone number

(दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.): 91-9001741704

2. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	अज्ञात1			

3. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

4. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)

(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
-----------------	-------------------------------------	------------------------------------	---------------------	--------------------------------

Q. Total value of property stolen(In Rs/-)

(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

1. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)
--------------------	--------------------------------------

2. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)

(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवा में श्रीमान थानाधिकारी जी पुलिस थाना कानोता तह. वस्ती जिला जयपुर विषय: प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने वावत। महोदय, निवेदन है कि मुख्य सचिव राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 20(22) खान/ ग्रुप 2/2023 दिनांक 13/1/24 की अनुपालना में अवैद्य खनन/निर्गमन/भण्डारण के विरुद्ध दिनांक 15/01/24 से 31/1/24 तक चलाये जा रहे संयुक्त अभियान के तहत राजस्व विभाग खान विभाग जेडीए मय जासा के संयुक्त दलों द्वारा आज दिनांक 21/1/24 को ग्राम दयारामपुरा तहसील वस्ती जिला जयपुर के खसरा संख्या 119 रकवा 1.6312 हैक्टेयर में पड़े खनिज चेजा पत्थरों का मौका देखा गया/वक्त मौका जांच अराजी खसरा में खनिज डेरियों में रूप में एवं छितराया हुआ पड़ा पाया गया। पड़े खनिज चेजा पत्थर की नाप की गई जो कि लगभग 6643.62 MT पाया गया। मौके पर उपस्थित हल्का पटवारी दयारामपुरा हल्का जीतावाला द्वारा राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन कर बताया कि उक्त भण्डारित खनिज खातेदारी 119 रकवा 1.6312 हैक्टेयर राजस्व ग्राम दयारामपुरा तहसील वस्ती जिला जयपुर में पड़ा है। कार्यालय रिकॉर्ड अनुसार उक्त अराजी खसरा में कोई स्टोक करने की अनुमति जारी नहीं की गई है। मौके पर पड़े खनिज भण्डारण के सम्बन्ध में कोई वैद्य कागजात किसी के द्वारा पेश नहीं करने से उक्त खनिज को RMMCR 2017 के नियम 54 व 60 के तहत अवैद्य खनन/भण्डारण की श्रेणी में आता है। मौका स्थिति अनुसार भण्डारित खनिज खान से लगभग 500 मीटर उत्तरी दिशा में जेडीए स्थित गै. सु. पहाड़ी का खसरा संख्या 1 राजस्व ग्राम दयारामपुरा में पड़ता है जिसमें विभाग द्वारा कोई वैद्य खननपट्टा/S.T.P जारी नहीं है जिससे अवैद्य खनन कर अवैद्य रूप से भण्डारण स्पष्ट है। मौके पर उपस्थित ग्रामीणों से प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त स्टोक 1. महेश मीणा पुत्र श्री गोपाल मीणा व अन्य निवासी ग्राम दयारामपुरा 2. राजूलाल मीणा पुत्र श्री बट्टी मीणा व अन्य निवासी ग्राम दयारामपुरा के द्वारा किया गया है। ग्रामीणों ने नाम पता व हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। उक्त पहाड़ी जिसमें अवैद्य खनन किया गया है। जो अरावली हिस्स में पड़ती है। जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा खनन पर पूर्णतया प्रतिबन्ध है। तथा माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) भोपाल द्वारा खनन प्रतिबंधित है। उक्त अवैद्य खनन माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय हरित प्राधिकरण (NGT) भोपाल के आदेशों की अवहेलना करने तथा राजकीय सम्पत्ति की चोरी कर नुकसान पहुंचाने एवं अवैद्य खनन किया जाने से एमएमडीआर एक्ट 1957 की धारा 4,21 व आईपीसी धारा 379 व 3पीडीपीपी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही कराने का श्रम करवावे। संलग्न 1. संयुक्त मौका पंचनामा 2. फर्द जवती/खनिज सुपुर्दगी नामा 3. नजरी नक्शा 4. फोटोग्राफस भवदीया सोनू अवस्थी पद सर्वेयर कार्यालय खनि अभियंता जयपुर मो. न. 9001741704 कार्यवाही पुलिस प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त रिपोर्ट तहरीरी सुधी सोनू अवस्थी पुत्री श्री विशम्भर दयाल अवस्थी उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम कमालपुरा पीएस महुआ जिला दौसा हाल सर्वेयर कार्यालय खनि अभियंता जयपुर ने उपस्थित थाना होकर पेश की। जिसकी नकल सीसीटीएनएस कम्प्यूटर पर अक्षरसः की गई। मजमून रिपोर्ट से मामला अपराध धारा 4/21 MMDR ACT व धारा 3 PDPP ACT व धारा 379 IPC का पाया जाने पर अभियोग पंजीबद्ध कर अनुसंधान मन थानाधिकारी भगवान सहाय मीणा पुलिस थाना कानोता मशरूफ तफ्तीश हुआ। एफआईआर क्रमांक सीसीटीएनएस जनित होने पर पृथक से अंकित किये जायेंगे। एफआईआर प्रतियां नियमानुसार किता की गई।

3. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

Bhagwan Shay (निरीक्षक) /

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.):

Rank

(जाँच अधिकारी का नाम):

(पद):

No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused investigation due to

(जाँच के लिए):

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना):

District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति नि:शुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Bhagwan Sahai
Meena
Location: Rajasthan, IN
Date: 22/01/2024 05:11:59

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): Bhagwan Shay

Rank (पद): I (Inspector)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known/seen)
शारीरिक / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण : (यदि ज्ञात / देखा गया)

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (ऊँचाई(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिह्न)
1	2	3	4	5	6	7
1						

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दोँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनाना)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता/संदिग्ध /अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।

u

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): जयपुर सिटी (पूर्व) P.S. (थाना): कानोता Year (वर्ष): 2024

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0075 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 22/01/2024 02:42 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भा दं सं 1860	379
2	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	4
3	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	21
4	सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984	3

(a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): रविवार Date From (दिनांक से): 21/01/2024 Date To (दिनांक तक): 21/01/2024
Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 00:00 बजे Time To (समय तक): 23:59 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 22/01/2024 Time (समय): 02:29 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 011 Date & Time (दिनांक एवं समय): 22/01/2024 02:29:00 बजे

Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): पूर्वोत्तर, 7 किमी Beat No. (बीट सं.): दयारामपुरा

(b) Address(पता): GRAM DAYARAMPURA, TEH. BASSI JAIPUR

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

1. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): SH. ANIL KUMAR VERMA

(b) Father's Name (पिता का नाम): LATE SH. BHAGWATI PRASAD VERMA

(c) Date/Year of Birth
(जन्म तिथि/ वर्ष): 1982

(d) Nationality(राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No(सूबाईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue

(जारी करने की तिथि):

Place of Issue

(जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पारपत्र, आधार कार्ड सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	12, BHAGWATI NAGAR 2, KARTARPURA, MAHESH NAGAR JAIPUR, महेश नगर, जयपुर शहर (दक्षिण), राजस्थान, भारत
2	स्थायी पता	12, BHAGWATI NAGAR 2, KARTARPURA, MAHESH NAGAR JAIPUR, महेश नगर, जयपुर शहर (दक्षिण), राजस्थान, भारत

(j) Phone number

(दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.): 91-9460548661

Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	अज्ञात1			

Reasons for delay in reporting by the complainant/informant

शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)

सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य(रु में))

13. Action taken : Since the above Information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

Bhagwan Shay (निरीक्षक) /

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.):

Rank

(जाँच अधिकारी का नाम):

(पद):

No(सं.):

to take up the investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused investigation due to

(जाँच के लिए):

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(धाना):

District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R.read over to the complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति नि:शुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer In charge, Police Station
(धाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Bhagwan Sahai
Meena
Location: Rajasthan, India
Date: 22/09/2024 09:11:47



15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): Bhagwan Shay

Rank (पद): I (Inspector)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known/seen)
संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियों और अन्य विवरण : (यदि ज्ञात / देखा गया)

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (वनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1						

Deformities/ Peculiarities (विकृतियों/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दंत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Bum Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्ता)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

District (जिला): जयपुर सिटी (पूर्व) P.S. (थाना): कानोता Year (वर्ष): 2024

FIR No. (प्र.सू.रि.सं.): 0074 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 22/01/2024 02:24 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भा दं सं 1860	379
2	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	4
3	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	21
4	सार्वजनिक संपत्ति मुकसान निवारण अधिनियम, 1984	3

i. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): रविवार Date From (दिनांक से): 21/01/2024 Date To (दिनांक तक): 21/01/2024
Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 00:00 बजे Time To (समय तक): 23:59 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 22/01/2024 Time (समय): 02:09 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 010 Date & Time (दिनांक एवं समय): 22/01/2024 02:09:00 बजे

ii. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

i. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): पूर्वोत्तर, 7 किमी Beat No. (बीट सं.): दयारामपुरा

(b) Address(पता): GRAM DAYARAMPURA, TEH. BASSI JAIPUR

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S. (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): SH. LAXMICHAND MEENA
(b) Father's Name (पिता का नाम): LATE SH. RAMCHARAN MEENA

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1987 (d) Nationality(राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पारपत्र, आधार कार्ड सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number
-------	---------	-----------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	HAL SAHAYAK KHANIJ, ABHIYANTA, JAIPUR, प्रतापनगर(जयपुर सिटी (पूर्व)), जयपुर सिटी (पूर्व), राजस्थान, भारत
2	स्थायी पता	VILLAGE CHHOTI UDAI, PS PILODA DIST. GANGAPUR CITY, पीलोदा, गंगापुर सिटी, राजस्थान, भारत

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): 91-9166477711

Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	अज्ञात1			

Reasons for delay in reporting by the complainant/informant

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)

(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नथी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
-----------------	-------------------------------------	------------------------------------	---------------------	--------------------------------

1. Total value of property stolen (In Rs/-)

(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य (रु में)):

1. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)
--------------------	--------------------------------------

2. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)

(प्रथम सूचना तथ्य (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवा में श्रीमान थानाधिकारी. पुलिस थाना कानोता विषय: प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने बावता महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मुख्य सचिव राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 20(22) खान/ गुप.2/2023 दिनांक 13/1/24 की अनुपालना में अवैद्य खनन/निर्गमन/भण्डारण के विरुद्ध दिनांक 15/01/24 से 31/1/24 तक चलाये जा रहे संयुक्त अभियान के तहत राजस्व खान पुलिस व जेडीए मय जाप्ता के संयुक्त दलों द्वारा आज दिनांक 21/1/24 को ग्राम दयारामपुरा तहसील बस्ती जिला जयपुर के खसरा संख्या 116, 120 खातेदारी व 200/39 जयपुर विकास प्राधिकरण रकबा 1.1001 है., 6.4237 है., 0.84 है. में पड़े खनिज चेजा पत्थरों का मौका देखा गया। वक्त मौका जांच उक्त आराजी खसरों में खनिज अलग अलग ढेरियों में छितराया पडा पाया गया। मौके पर पड़े खनिज की नाप की गई जो (लगभग) निम्नानुसार पाया गया खसरा संख्या 116, 120 व 200/39 में कुल 7800 MT पडा पाया गया। मौके पर उपस्थित हल्का पटवारी दयारामपुरा हल्का जीतावाला द्वारा राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन कर बताया कि उक्त खनिज भण्डारण खातेदारी भूमि व जेडीए भूमि राजस्व ग्राम दयारामपुरा तहसील बस्ती जिला जयपुर में पडा है। कार्यालय रिकॉर्ड अनुसार उक्त आराजी खसरान में विभाग द्वारा कोई स्टॉक करने की अनुमति जारी नहीं है। मौके पर पड़े खनिज भण्डारण के सम्बन्ध में कोई वैद्य कागजात किसी के द्वारा पेश नहीं करने से उक्त खनिज भण्डारण राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियम 54, 60 के तहत अवैद्य खनन/भण्डारण की श्रेणी में आता है। उक्त खनिज भण्डारण से लगभग 400 मीटर उत्तरी दिशा में जेडीए स्थित गै. सु. पहाड़ी का खसरा संख्या 1 राजस्व ग्राम दयारामपुरा में पडता है जिसमें विभाग द्वारा कोई वैद्य खननपट्टा/S.T.P जारी नहीं की गई है जिससे अवैद्य खनन/भण्डारण किया गया है। उक्त पहाड़ी अरावली हिल्स में पडती है जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (N.G.T) भोपाल द्वारा खनन प्रतिबंधित है। अत उक्त अवैद्य खनन माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय हरित प्राधिकरण भोपाल के आदेशों की अवहेलना करने तथा राजकीय सम्पत्ति की चोरी कर नुकसान पहुंचाने एवं अवैद्य खनन किये जाने से एमएमडीआर एक्ट 1957 की धारा 4,21 व आईपीसी धारा 379 व 3पीडीपीपी एक्ट के तहत मौके पर प्राप्त स्थानीय लोगों से जानकारी अनुसार अवैद्य भण्डारण कर्ता उमेश पुत्र प्रहलाद मीणा व अन्य, घासी पुत्र छोटेलाल मीणा व अन्य निवासी दयारामपुरा बस्ती जिला जयपुर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही कराने का श्रम करावें। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा अपना नाम पता व हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। संलग्न 1. संयुक्त मौका पंचनामा 2. जवती फर्द/खनिज सुपुर्दगीनामा 3. मौका नजरी नक्शा 4. फोटोग्राफस भवदीय लक्ष्मीचन्द मीणा सहायक खान अभियन्ता 9166477711 दि. 21/1/24 कार्यवाही पुलिस प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त रिपोर्ट तहरीरी श्री लक्ष्मीचन्द मीणा पुत्र स्व. श्री रामचरण मीणा जाति मीणा उम्र 37 साल निवासी छोटी उदई पीएस पिलोदा जिला गंगपुर सिटी हाल सहायक खनिज अभियन्ता जयपुर ने उपस्थित थाना होकर पेश की। जिसकी नकल सीसीटीएनएस कम्प्यूटर पर अक्षरसः की गई। मजमून रिपोर्ट से मामला अपराध धारा 4/21 MMDR ACT व धारा 379 IPC व 3 PDPP ACT का पाया जाने पर अभियोग पंजीबद्ध कर अनुसंधान मन थानाधिकारी पुलिस थाना कानोता भगवान सहाय मीणा मशरुफ तफतीश हुआ। एफआईआर क्रमांक पृथक से अंकित किये जायेंगे। एफआईआर प्रतियां नियमानुसार किता की गई।

1. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका भद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

Bhagwan Shay (निरीक्षक) /

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.):

Rank

(जाँच अधिकारी का नाम):

(पद):

No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused investigation due to

(जाँच के लिए):

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(धाना):

District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R.read over to the complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति नि:शुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / Informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(धाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Bhagwan Sahai
Meena
Location: Rajasthan (N)
Date: 22/01/2024 09:07:00

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): Bhagwan Shay

Rank (पद): I (Inspector)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known/seen)
दिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियों और अन्य विवरण : (यदि ज्ञात / देखा गया)

No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (वनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1						

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दंत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /दोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्ती)	Scar (घाव)	Tattoo (शूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(है क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)

91/2024

N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I/एकीकृत जॉच फार्म-I**FIRST INFORMATION REPORT**

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

District
(जिला): जयपुर सिटी (पूर्व)P.S.
(थाना): कानोताYear
(वर्ष): 2024FIR No.
(प्र.सू.रि.सं): 0106Date and Time of FIR
(एफआईआर की तिथि/समय):

29/01/2024 03:54 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	4
2	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	21
3	सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984	3
4	भा दं सं 1860	379

k. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): रविवार

Date From
(दिनांक से): 28/01/2024Date To
(दिनांक तक): 28/01/2024Time Period
(समय अवधि): पहरTime From
(समय से): 00:00 बजेTime To
(समय तक): 23:59 बजे(b) Information received at P.S.
(थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):Date
(दिनांक): 29/01/2024Time
(समय): 03:42 बजे(c) General Diary Reference
(रोजनामचा संदर्भ):Entry No.
(प्रविष्टि सं.): 013Date & Time
(दिनांक एवं समय): 29/01/2024 03:42:00 बजे

l. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

i. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S.
(थाने से दिशा और दूरी): पूर्व, 7 किमीBeat No.
(बीट सं.): दयारामपुरा

(b) Address(पता): GRAM DAYARAMPURA, TEH. BASSI JAIPUR

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then
(यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)Name of P.S.
(थाना का नाम):District(State)
(जिला (राज्य)):

Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

Name(नाम): SUSHREE SONU AVASTHI

Father's Name (पिता का नाम): SH. VISHAMBHAR DAYAL AVASTHI

(c) Date/Year of Birth
(जन्म तिथि/ वर्ष): 1992

(d) Nationality(राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue

Place of Issue

(जारी करने की तिथि):

(जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पारपत्र, आधार कार्ड सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number
-------	---------	-----------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	HAL SARYEWAR, OFFICE OF THE KHANIJ ABHIYANTA, JAIPUR, प्रतापनगर(जयपुर सिटी (पूर्व)), जयपुर सिटी (पूर्व), राजस्थान, भारत
2	स्थायी पता	VILLAGE KAMALPUR, THANA MAHWA DIST. DAUSA, महुआ, दौसा, राजस्थान, भारत

(j) Phone number
(दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.): 91-9001741704

. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	अज्ञात1			

3. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

4. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)

(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
-----------------	-------------------------------------	------------------------------------	---------------------	--------------------------------

Value of property stolen(In Rs/-)

चुराई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में) :

Request Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)
--------------------	--------------------------------------

First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)

(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

थाना थानाधिकारी पुलिस थाना कानोता विषय:- प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने बावत। महोदय उपरोक्त विषयान्तर्गत विवेदन है कि श्रीमान मुख्य सचिव राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 20 (22) खान/ग्रुप/2/2023 दिनांक 3/01/2024 की अनुपालना में अवैद्य खनन/निर्गमन/भण्डारण के विरुद्ध दिनांक 15/01/2024 से 31/01/2024 तक लाये जा रहे संयुक्त अभियान के तहत राजस्व व खान विभाग के द्वारा आज दिनांक 28/01/2024 को ग्राम दयारामपुरा हसील बस्सी जिला जयपुर के खसरा संख्या 103 रकबा 1.1381 है. में पड़े खनिज का मौका देखा गया वक्त मौका आराजी खसरा 103 रकबा 1.1381 है. में खनिज छितराया हुआ व डेरियों में दो जगह पर पडा पाया गया। मौके पर उक्त खसरे में एक जगह पर लगभग 10 डेरियों में प्रत्येक डेरियां 30 टन की पडी हुई मिली तथा दूसरी जगह लगभग 22 डेरियां प्रत्येक 30 टन की पडी हुई मिली कुल 960 टन खनिज उक्त खसरे में पडा हुआ पाया गया। मौके पर उपस्थित हल्का पटवारी पीतावाला द्वारा राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन कर बताया कि उक्त भण्डारित खनिज खातेदारी सं. 103 रकबा 1.1381 है. राजस्व ग्राम दयारामपुरा तह. बस्सी जिला जयपुर में पडा है। कार्यालय रिकॉर्ड अनुसार उक्त आराजी खसरा में कोई स्टॉक करने की अनुमति जारी नहीं की गई है। मौके पर पड़े खनिज भण्डारण के सम्बन्ध में कोई वैद्य दस्तावेज किसी के द्वारा पेश नहीं करने से उक्त खनिज को RMMCR 2017के नियम 54 व 60 के तहत अवैद्य खनन/भण्डारण की श्रेणी में माना जाकर नब्त सरकार किया गया। मौका स्थिति अनुसार भण्डारित खनिज स्थान से लगभग 800 मी. उत्तरी दिशा में जेडीए स्थित गै. मु पहाडी का खसरा संख्या 1 राजस्व ग्राम दयारामपुरा पडता है जिसमें विभाग द्वारा कोई खनन पट्टा/STP जारी नहीं है जिससे अवैद्य खनन कर अवैद्य भण्डारण स्पष्ट है। कार्यवाही के दौरान मौके पर महेश मीना पुत्र श्री रामगोपाल मीना उम्र लगभग 36 वर्ष निवासी दयारामपुरा तह. बस्सी जिला जयपुर उपस्थित हुआ जिसके द्वारा बताया गया कि उक्त भण्डारित खनिज में से एक ओर मेरे द्वारा तथा दूसरी डेरी बन्टी शर्मा पुत्र श्री नारायण शर्मा निवासी दयारामपुरा तहसील बस्सी द्वारा भण्डारित की गई है। मौके पर खनिज के भण्डारण सम्बन्धित कोई वैद्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने से खनिज का अवैद्य भण्डारण किया जाना स्पष्ट है जो कि RMMCR 2017 के नियम 54 व 60 का उल्लंघन है उक्त खनिज भण्डारित स्थान के उत्तर दिशा में स्थित जेडीए भूमि की पहाडी गै. मु. खसरा संख्या 01 राजस्व ग्राम दयारामपुरा से अवैद्य खनन कर चोरी से लाया जाकर खातेदारी भूमि में भण्डारित किया गया है जो कि जेडीए की सम्पत्ति की चोरी है। उक्त पहाडी जिससे अवैद्य खनन किया गया है जो अरावली हिल्स में पडती है जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा खनन पर पूर्णतया प्रतिबंध है तथा माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) भोपाल द्वारा भी खनन प्रतिबंधित है। उक्त खनन माननीय उच्चतम न्यायालय व NGT भोपाल के आदेशों की अवहेलना करने तथा राजकीय सम्पत्ति की चोरी कर नुकसान पहुंचाने एवं अवैद्य खनन कर भण्डारण किये जाने से MMDR ACT 1957 की धारा 4, 21 व आईपीसी की धारा 379 व 3DPPP ACT के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही कराने का श्रम करावे। संलग्न- 1. संयुक्त मौका पंचनामा 2. फर्द जब्ती/ खनिज सुपुर्दगी नामा 3. नजरी नक्शा 4. फोटोग्राफस भवदीया सोनू अवस्थी पद सर्वेयर कार्यालय खनि अभियंता जयपुर मो. 9001741704 कार्यवाही पुलिस प्रमाणित किया जाता है कि उपरक्त रिपोर्ट तहरीरी सुश्री सोनू अवस्थी पुत्री श्री विशम्भर दयाल अवस्थी उम्र 32 साल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम कमालपुर पीएस महवा जिला दौसा हाल सर्वेयर कार्यालय खनिज अभियंता जयपुर ने उपस्थित थाना होकर पेश की जिसकी नकल सीसीटीएनएस कम्प्यूटर में अक्षर सः अक्षर की गई मजमून रिपोर्ट से मामला अपराध धारा 4/21 MMDR ACT व 3 DPPP ACT व धारा 379 आईपीसी का वक् में आना पाये जाने पर अभियोग पंजीबद्ध कर अनुसंधान मन थानाधिकारी भगवान सहाय पुलिस निरीक्षक पुलिस थाना कानोता मशरूफ तफ्तीश हुआ एफआईआर क्रमांक सीसीटीएनएस जनित होने पर पृथक से अंकित किये जायेंगे एफआईआर प्रतियां नियमानुसार जारी की गई।

taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है):

Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

Bhagwan Shay (निरीक्षक) /

or (या)

Directed (Name of I.O.):

Rank

(जाँच अधिकारी का नाम):

(पद):

No(सं.):

to take up the investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused investigation due to
(जाँच के लिए):

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना):

District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति नि:शुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Bhagwan Sahai
Meena
Location: Rajasthan, IN
Date: 28/03/2024 08:47:00



15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): Bhagwan Shay

Rank (पद): I (Inspector)

No(सं.):

Part 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया)

Sl. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1						

Deformities/ Peculiarities (विकृतियों/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दंत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

I. District (जिला): जयपुर सिटी (पूर्व) P.S. (थाना): कानोता Year (वर्ष): 2024

II. FIR No. (प्र.सू.रि.सं.): 0109 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 29/01/2024 22:27 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	4
2	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	21
3	सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984	3
4	भा दं सं 1860	379

(a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): सोमवार Date From (दिनांक से): 29/01/2024 Date To (दिनांक तक): 29/01/2024
Time Period (समय अवधि): पहर 1 Time From (समय से): 00:00 बजे Time To (समय तक): 00:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 29/01/2024 Time (समय): 20:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 076 Date & Time (दिनांक एवं समय): 29/01/2024 20:43:00 बजे

Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): पूर्वोत्तर, 4.09 किमी Beat No. (बीट सं.): जीतावाला

(b) Address(पता): VILLAGE DAYARAM PURA, KANOTA JAIPUR

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S. (थाना का नाम): कानोता District(State) (जिला (राज्य)): जयपुर सिटी (पूर्व)(राजस्थान)

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): SONU AWASTHI

(b) Father's Name (पिता का नाम): SH. VISHAMBHAR DAYAL AVASTHI

(c) Date/Year of Birth
(जन्म तिथि/ वर्ष): 1992

(d) Nationality(राष्ट्रियता): भारत

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue
(जारी करने की तिथि):

Place of Issue
(जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पारपत्र, आधार कार्ड सं, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number
-------	---------	-----------

(h) Occupation (व्यवसाय): कर्मी

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	VILLAGE KAMALPUR, PS MAHWA DIST DAUSA, महुआ, दौसा, राजस्थान, भारत
2	स्थायी पता	VILLAGE KAMALPUR, PS MAHWA DIST DAUSA, महुआ, दौसा, राजस्थान, भारत

(j) Phone number
(दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.): 91-9001741704

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	अज्ञात1			

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)

(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
-----------------	-------------------------------------	------------------------------------	---------------------	--------------------------------

10. Total value of property stolen(In Rs/-)

(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No.	UIDB Number
(क्र.सं.)	(यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)

(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

श्रीमान थानाधिकारी पुलिस थाना कानोता तहसील बस्सी जयपुर विषय प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने वावत महोदय उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि श्रीमान मुख्य सचिव राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प20(22) खान/गुप -2/2023 दिनांक 13.1.2023 की अनुपालना में अवैध खनन/निगमन/भंडारण के विरुद्ध दिनांक 15.01.2024 से 31.01.2024 तक चलाए जा रहे संयुक्त अभियान के तहत राजस्व विभाग में खान विभाग के द्वारा आज दिनांक 29.1.2024 को कंट्रोल रूम निदेशालय उदयपुर से प्राप्त शिकायत संख्या 177 ग्राम दयारामपुरा तहसील बस्सी जयपुर कल्पना नगर जेडीए स्कीम के खसरा नंबर 7 में क्वार्टर्स का अवैध खनन हो रहा है की जांच हेतु शिकायत स्थल पर पहुंचे मौके पर हल्का पटवारी भी उपस्थित ने खसरा नंबर 7 का मौका देखा गया उक्त खसरा में किसी प्रकार अवैध खनन होना नहीं पाया गया उक्त खसरे के पास में ही स्थित खसरा नंबर 10 रकबा 2.1370 हेक्टर राजस्व ग्राम दयारामपुरा तहसील बस्सी में खनिज जेचा पत्थर का स्टॉक डेरीयो के रूप में छितराया हुआ पड़ा पाया गया मौके पर उक्त आरजी खसरा नंबर 10 में लगभग 25 डेरिया प्रत्येक 20 टन की कुल 500 टन खनिज जेचा पत्थर की पड़ी हुई मिली कार्यालय रिकॉर्ड के अनुसार उक्त आरजी खसरा में कोर्ट स्टॉक करने की अनुमति जारी नहीं की गई है मौके पर पड़े खनिज भंडारण के संबंध में कोई वैध कागजात किसी के द्वारा पेश नहीं करने से उक्त खनिज का भंडारण RMMCR AND 2D के नियम 54 व 60 के तहत अवैध खनन भंडारण की श्रेणी में आता है मौका स्थिति अनुसार भंडारित खनिज स्थान से लगभग 500 मी उत्तरी दिशा में जेडीए स्थित गैर मुमकिन पहाड़ी का खसरा नंबर 01 राजस्व ग्राम दयारामपुरा पड़ता है जिसमें विभाग द्वारा कोई खनन पट्टा/एसटीपी जारी नहीं है जिससे अवैध खनन कर अवैध भंडारण किया जाना स्पष्ट है उक्त खनिज जेडीए भूमि की पहाड़ी राजस्व ग्राम दयारामपुरा से अवैध खनन कर चोरी से लाया जाकर खातेदारी भूमि में भंडारित किया गया है जो कि जेडीए की संपत्ति की चोरी है कार्रवाई के दौरान मौके पर ही रामफूल मीणा श्री महेश मीणा पुत्र श्री राम गोपाल मीणा महेश चंद पुत्र श्री गोपाल मीणा रामफूल मीणा पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण मीणा निवासी दयारामपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर उपस्थित हुए जिन्होंने बताया कि उक्त स्टॉक नंदू शर्मा पुत्र नारायण शर्मा निवासी ग्राम कानोता तहसील बस्सी द्वारा अवैध रूप से किया जाना बताया गया उक्त पहाड़ी जिससे अवैध खनन किया गया है अरावली हिल्स में पढती हैं जिसमें माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण भोपाल द्वारा NGT भोपाल द्वारा खनिज प्रतिबंधित एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी खनन पर पूर्णतया प्रतिबंधित है उक्त खनन माननीय उच्चतम न्यायालय व एनजीटी भोपाल के आदेश की अवहेलना करने तथा राजकीय संपत्ति की चोरी कर नुकसान पहुंचाने एवं अवैध खनन कर भंडारण किया जाने से एमएमडीआर एक्ट 1957 की धारा 4-21 व आईपीसी की धारा 379 एवं 3पीडीपीपीएक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई कराने का श्रम करावे। संयुक्त मौका पचनामा फर्द जब्ती/ खनिज सुपुर्दगीनामा नजरी नक्शा फोटो ग्राफस-----कार्यवाही पुलिस-----प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त लिखित रिपोर्ट सुश्री सोनू अवस्थी पुत्री श्री विशम्भर दयाल अवस्थी जाति ब्राह्मण उम्र 32 साल निवासी ग्राम कमालपुरा पुलिस थाना महवा जिला दौसा हाल सर्वेवर कार्यालय खनिज अभियन्ता जयपुर ने उपस्थित थाना होकर पेश की मजमून रिपोर्ट से मामला अपराध धारा 379 आईपीसी 4/21 MMDR ACT व धारा 3PDPP ACT के वकू में आना पाया जाने पर अभियोग उपरोक्त धारा में पंजीबद्ध कर तफतीश श्री भगवान सहाय पुलिस थाना कानोता जयपुर पूर्व के जिम्मे की गई सीसीटीएनएस मे प्रविष्टि पर जारी एफआईआर पृथक से अंकित किये जाकर एफआईआर प्रतिया नियमानुसार जारी की जावेगी।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख द्वारा के तहत है):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.):

(जाँच अधिकारी का नाम):

Bhagwan Shay

Rank

(पद):

निरीक्षक

No(सं.):

to take up the investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused investigation due to

(जाँच के लिए):

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना):

District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति नि:शुल्क शिकायतकर्ता को दी गई)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb Impression of the complainant / Informant

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Ramraj Benad
Location: Rajasthan,IN
Date: 30/01/2024 00:52:55



15. Date and time of dispatch to the court

(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): Ramraj

Rank (पद): Asst. SI (Assistant Sub-Inspector)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियों और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया)

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (वनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिह्न)
1	2	3	4	5	6	7
1						

Deformities/ Peculiarities (विकृतियों/ विशेषताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनाना)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Bum Mark (बले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्ता)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): जयपुर सिटी (पूर्व) P.S. (थाना): कानोता Year (वर्ष): 2024

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं.): 0129 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 03/02/2024 16:19 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	4
2	खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957	21
3	सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984	3
4	भा दं सं 1860	379

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day (दिन): शुक्रवार Date From (दिनांक से): 02/02/2024 Date To (दिनांक तक): 02/02/2024
 Time Period (समय अवधि): पहर 1 Time From (समय से): 00:00 बजे Time To (समय तक): 00:00 बजे
 (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 03/02/2024 Time (समय): 15:00 बजे
 (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 026 Date & Time (दिनांक एवं समय): 03/02/2024 15:39:00 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): पूर्वोत्तर, 6.71 किमी Beat No. (बीट सं.): नायला

(b) Address (पता): VILLAGE GHATA, PS KANOTA JAIPUR

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S. (थाना का नाम): कानोता District (State) (जिला (राज्य)): जयपुर सिटी (पूर्व) (राजस्थान)

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): SONU AWASTHI

(b) Father's Name (पिता का नाम): SH. VISHAMBHAR DAYAL AVASTHI

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1992

(d) Nationality(राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of issue

Place of issue

(जारी करने की तिथि):

(जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पारपत्र, आधार कार्ड सं, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number
-------	---------	-----------

(h) Occupation (व्यवसाय): अन्य

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	VILLAGE KAMALPUR, THANA MAHWA DIST. DAUSA, महुआ, दौसा, राजस्थान, भारत
2	स्थायी पता	VILLAGE KAMALPUR, THANA MAHWA DIST. DAUSA, महुआ, दौसा, राजस्थान, भारत

(j) Phone number

(दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.): 91-9001741704

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	अज्ञात1			

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)

(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	अन्य	विविध	MINES	

10. Total value of property stolen(In Rs/-)

(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)
--------------------	--------------------------------------

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)

(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

श्रीमान थानाधिकारी पुलिस थाना कानोता जिला, जयपुर विषय- प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु महोदय उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कार्यालय खनि अभियंता, जयपुर में दीपक कुमार मोहन लाल एवं समस्त ग्रामवासी ग्राम घाटा तह. बस्सी जिला जयपुर द्वारा प्रस्तुत शिकायत परिवाद विषय ग्राम घाटा में खान मालिक व खानन माफिया रामकिशन गुर्जर S/O स्व. भी तेजाराम गुर्जर द्वारा किये जा रहे अवैध खनन व अवैध ब्लास्टिंग के खिलाफ कानूनी कार्यवाही चाहने बावजूद व श्रीमान खान अभियंता, जयपुर द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना में आज दिनांक 02.02.2024 को अधोहस्ताक्षर कर्ताओं द्वारा शिकारत में निर्मित स्थान अनुसार शिव मंदिर के पास पूर्व दिशा में, जगद पहाड़ी पर बने प्राचीन श्री मुसाई मंदिर, श्री राम मंदिर, शिव मंदिर व हनुमान मंदिर के पास शिकायती स्थल पर पहुंचे। उक्त शिकायत के बारे में शिकायतकर्ता श्री दीपक कुमार से जरिये दूरभाष नं- 7877657877 पर दिनांक 01.02.24 को सम्पर्क कर शिकायती स्थल दिखाने हेतु कहा गया तो उसके द्वारा कहा गया कि मैं कल सुबह (दिनांक 02. 02.24) को शिकायती स्थल पर मिल जाऊंगा। उक्त शिकायती स्थल पर पहुंचकर श्री दीपक कुमार से उक्त दूरभाष नम्बर पर कई बार सम्पर्क करने की कोशिश की गई परंतु सम्पर्क नहीं हो सका। वक्त मौका निरीक्षण उक्त स्थान पर खनन होता हुआ नहीं पाया गया तथा खनन के ताजा निशाना भी नहीं मिले। मौके पर बने हुए खनन पिटों की नाप की गई जो निम्नानुसार है- पिट नं 1 - 35 मी० x 20 मी० x 10मी (लगभग) N 26°5252 E 76°00 03 नं. 2 - 25मी.x10मी.x x 8 मी० (लगभग) N-26° 525 E 76 0005 मौके पर बने उक्त खनन पिटों से खनिज चेजा पत्थर का खनन कर निर्गमन किया जा चुका है। मौके पर हल्का पटवारी मानसर खेड़ी से जरिये दूरभाष नं. पर सम्पर्क कर मौके पर उपस्थित होने को कहा गया तो हल्का पटवारी द्वारा स्वयं, को VC में होना बताया। उक्त स्थल की करंट लोकेशन जरिये गूगल एअर से हल्का पटवारी को भेजी गयी तो हल्का पटवारी के द्वारा राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार उक्त स्थान खसरा न 1 रखवा 50. 4283 है। जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज होना बताया गया। उक्त क्षेत्र में विभाग द्वारा कोई खनन पट्टा/ STP जारी नहीं की गई है अतः किया गया खनन RMMCR 2017 के नियम 54 व 60 के तहत अवैध खनन की श्रेणी में आता है। शिकायतकर्ता द्वारा श्रीमान खनि अभियंता, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत होकर शिकायती परिवाद व शिकायती स्थल की फोटोग्राफ्स मय पेन ड्राइव के पेश की गयी जो इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है। अतः श्रीमान से निवेदन है की शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत परिवाद शिकायत के आधार पर शिकायती स्थल पर अवैध खनन किये जाने पर MMDR ACT 1957 की धारा 4 व 21, खनिज की चोरी करने के अपराध में 379 व सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाये जाने के जुर्म में 3PDPP ACT के तहत मुकदमा दर्ज कराने का श्रम करावे। संलग्न:- 1 मौका पंचनामा 2. नजरी नक्शा 3. शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायत व फोटोग्राफ्स मय पेन ड्राइव एस डी प्रार्थिया सोनू अवस्थी पद सर्वेयर, कार्या.खनि. अभियंता, जयपुर मो.नं. 9001741704-----कार्यवाही पुलिस----- प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त लिखित रिपोर्ट बखत हिन्दी सुश्री सोनू अवस्थी पुत्री श्री विशम्भर दयाल अवस्थी जाति ब्राह्मण उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम कमालपुरा पुलिस थाना महुआ जिला दौसा हाल सर्वेयर कार्यालय खनिज अभियंता जयपुर ने उपस्थित थाना होकर पेश की। मजमून रिपोर्ट से मामला अपराध धारा MMDR Act 1957 की धारा 4 व 21 धारा 379 आई पी सी व धारा 3 पी डी पी एक्ट के वकू में आना पया जाने पर अभियोग उपरोक्त धारा में पंजीबद्ध कर अनुसंधान श्री भगवान सहाय पु.नि. थानाधिकारी थाना कानोता के जिम्में की गई। सीसीटीएनएम में प्रविष्टि करने पर जारी एफ आई आर क्रमांक पृथक से अंकित किये जाकर एफ आई आर प्रतियां नियमानुसार जारी की जावेगी।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद्र सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.):

(जाँच अधिकारी का नाम):

Bhagwan Shay

Rank

(पद):

निरीक्षक

No(सं.):

to take up the investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused investigation due to

(जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना):

District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति नि:शुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Kailash Chand Meena
Location: Rajasthan,IN
Date: 03/02/2024 16:29:45



15. Date and time of dispatch to the court

(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): Kailash meena

Rank (पद): Asst. SI (Assistant Sub-Inspector)

No(सं.): 859

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1						

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विसिद्धताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (शूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)

न्यायालय तहसीलदार तहसील बस्सी जिला जयपुर, (राज)

क्रमांक :- राजस्व/2024/119

दिनांक :- 14/02/2024

नोटिस

आपको जरिये नोटिस सूचित किया जाता है कि आप द्वारा ग्राम दयारामपुरा के खसरा संख्या 116 रकबा 1.1001 है0 भूमि पर अवैध रूप से पत्थरों का स्टॉक किया जा रहा है।

यह है कि आपका उक्त कृत्य अवैध खनन की श्रेणी में आकर गैर कानूनी है। आप इस संबंध में अपना जवाब स्वयं उपस्थित होकर अघोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष 3 दिवस में पेश करना सुनिश्चित करें। अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

ly

(अजय सिंह)
तहसीलदार,
तहसील बस्सी

न्यायालय तहसीलदार तहसील बस्सी जिला जयपुर, (राज)

क्रमांक :- राजस्व/2024/118

दिनांक :- 14/02/2024

नोटिस

आपको जरिये नोटिस सूचित किया जाता है कि आप द्वारा ग्राम दयारामपुरा के खसरा संख्या 110/1 रकबा 2.8198 है0 भूमि पर अवैध रूप से पत्थरों का स्टॉक किया जा रहा है।

यह है कि आपका उक्त कृत्य अवैध खनन की श्रेणी में आकर गैर कानूनी है आप इस संबंध में अपना जवाब स्वयं उपस्थित होकर अघोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष 3 दिवस में पेश करना सुनिश्चित करें। अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

7
(अजय सिंह)
तहसीलदार,
तहसील बस्सी

न्यायालय तहसीलदार तहसील बस्सी जिला जयपुर, (राज)

क्रमांक :- राजस्व/2024/117

दिनांक :- 14/02/2024

नोटिस

आपको जरिये नोटिस सूचित किया जाता है कि आप द्वारा ग्राम दयारामपुरा के खसरा संख्या 103 रकबा 1.1381 है० भूमि पर अवैध रूप से पत्थरों का स्टॉक किया जा रहा है।

यह है कि आपका उक्त कृत्य अवैध खनन की श्रेणी में आकर गैर कानूनी है आप इस संबंध में अपना जवाब स्वयं उपस्थित होकर अघोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष 3 दिवस में पेश करना सुनिश्चित करें। अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

५

(अजय सिंह)
तहसीलदार,
तहसील बस्सी

न्यायालय तहसीलदार तहसील बस्सी जिला जयपुर, (राज)

क्रमांक :- राजस्व/2024/116

दिनांक :- 14/02/2024

नोटिस

आपको जरिये नोटिस सूचित किया जाता है कि आप द्वारा ग्राम दयारामपुरा के खसरा संख्या 119 रकबा 1.6312 है0 भूमि पर अवैध रूप से पत्थरों का स्टॉक किया जा रहा है।

यह है कि आपका उक्त कृत्य अवैध खनन की श्रेणी में आकर गैर कानूनी है आप इस संबंध में अपना जवाब स्वयं उपस्थित होकर अघोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष 3 दिवस में पेश करना सुनिश्चित करें। अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।


(अजय सिंह)
तहसीलदार,
तहसील बस्सी

न्यायालय तहसीलदार तहसील बस्सी जिला जयपुर, (राज)

क्रमांक :- राजस्व/2024/115

दिनांक :- 14/01/2024

नोटिस

आपको जरिये नोटिस सूचित किया जाता है कि आप द्वारा ग्राम दयारामपुरा के खसरा संख्या 10 रकबा 2.13 है0 भूमि पर अवैध रूप से पत्थरों का स्टॉक किया जा रहा है।

यह है कि आपका उक्त कृत्य अवैध खनन की श्रेणी में आकर गैर कानूनी है आप इस संबंध में अपना जवाब स्वयं उपस्थित होकर अघोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष 3 दिवस में पेश करना सुनिश्चित करें। अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

4

(अजय सिंह)
तहसीलदार,
तहसील बस्सी

न्यायालय तहसीलदार तहसील बस्सी जिला जयपुर, (राज)

क्रमांक :- राजस्व/2024/114

दिनांक :- 14/02/2024

नोटिस

आपको जरिये नोटिस सूचित किया जाता है कि आप द्वारा ग्राम मानगढ खोखावाला के खसरा संख्या 02/323 रकबा 0.30 है0 भूमि पर अवैध रूप से पत्थरों का स्टॉक किया जा रहा है।

यह है कि आपका उक्त कृत्य अवैध खनन की श्रेणी में आकर गैर कानूनी है आप इस संबंध में अपना जवाब स्वयं उपस्थित होकर अघोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष 3 दिवस में पेश करना सुनिश्चित करें। अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।


(अजय सिंह)
तहसीलदार,
तहसील बस्सी

न्यायालय तहसीलदार तहसील बस्सी जिला जयपुर, (राज)

क्रमांक :- राजस्व/2024/113

दिनांक :- 14/02/2024

नोटिस

आपको जरिये नोटिस सूचित किया जाता है कि आप द्वारा ग्राम मानगढ खोखावाला के खसरा संख्या 129 रकबा 1.5 है० भूमि पर अवैध रूप से पत्थरों का स्टॉक किया जा रहा है।

यह है कि आपका उक्त कृत्य अवैध खनन की श्रेणी में आकर गैर कानूनी है आप इस संबंध में अपना जवाब स्वयं उपस्थित होकर अघोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष 3 दिवस में पेश करना सुनिश्चित करें। अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।


(अजय सिंह)
तहसीलदार,
तहसील बस्सी

न्यायालय तहसीलदार तहसील बस्सी जिला जयपुर, (राज)


क्रमांक :- राजस्व/2024/112

दिनांक :- 14/02/2024

नोटिस

आपको जरिये नोटिस सूचित किया जाता है कि आप द्वारा ग्राम घाटा के खसरा संख्या 216 रकबा 1.0242 है0 भूमि पर अवैध रूप से पत्थरों का स्टॉक किया जा रहा है।

यह है कि आपका उक्त कृत्य अवैध खनन की श्रेणी में आकर गैर कानूनी है आप इस संबंध में अपना जवाब स्वयं उपस्थित होकर अघोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष 3 दिवस में पेश करना सुनिश्चित करें। अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।


(अजय सिंह)
तहसीलदार,
तहसील बस्सी

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग,
खनिज भवन, पंचम तल, तिलक मार्ग, जयपुर - 302 005.
दूरभाष नं. 0141-2227404 email: me.jaipur@rajasthan.gov.in

क्रमांक: खअ/जय/स्था/24/ 55

दिनांक: 09 फरवरी, 2024

कार्यालय आदेश

तहसील बरसी जिला जयपुर (ग्रामीण) के हरडी हरध्यानपुरा, घाटा, वैनाडा, दयारामपुरा आदि ग्रामों के क्षेत्र में 24 X 7 निगरानी रख अवैध खनन/निर्गमन की रोकथाम हेतु निम्नलिखित बोर्डर होमगार्ड्स को तत्काल प्रभाव से लगाया जाता है।

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	पद	वैल्ट नम्बर
1	श्री गुरुदेव सिंह	वोलेन्टियर	137
2	श्री सतनाम सिंह	वोलेन्टियर	19
3	श्री ओम प्रकाश	वोलेन्टियर	02
4	श्री जगदेव सिंह	वोलेन्टियर	294

उपरोक्त सभी बोर्डर होमगार्ड्स निरन्तर चैकिंग कर अवैध खनन/निर्गमन नहीं होना सुनिश्चित करेंगे।


(श्रीकृष्ण शर्मा)
खनि अभियन्ता, जयपुर

क्रमांक: खअ/जय/स्था/24/ 56 - 59

दिनांक: 09 फरवरी, 2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. अधीक्षण खनि अभियन्ता, जयपुर वृत्त, जयपुर।
2. सहायक खनि अभियन्ता, कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि बोर्डर होमगार्ड्स को मौके पर नियोजित कर अवैध खनन/निर्गमन की निरन्तर चैकिंग की जाकर अवैध खनन/निर्गमन न होना सुनिश्चित करें।
3. हल्का खनि कार्यदेशक, बरसी को भेजकर लेख है कि बोर्डर होमगार्ड्स को मौके पर नियोजित कर अवैध खनन/निर्गमन की निरन्तर चैकिंग की जाकर अवैध खनन/निर्गमन न होना सुनिश्चित करें।
4. संबंधित बोर्डर होमगार्ड्स श्री -----


09/02/24
खनि अभियन्ता, जयपुर

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग,
खनिज भवन, पंचम तल, तिलक मार्ग, जयपुर - 302 005.

दूरभाष नं. 0141-2227404

email: mc.jaipur@rajasthan.gov.in

बैठक कार्यवाही विवरण

विषय:- अवैध खनन/निर्गमन की रोकथाम के संबंध में गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक
अध्यक्षता:- श्रीमान जिला कलक्टर, जयपुर
स्थान, समय व दिनांक:- सभाकक्ष जिला कलक्टर, जयपुर 8 फरवरी, 2024 दोपहर 12.30 बजे
उपस्थित अधिकारियों के नाम व पद का विवरण-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पद
1	श्री प्रकाश राजपुरोहित	जिला कलक्टर, जयपुर
2	श्री वी केतन कुमार	उप वन संरक्षक, जयपुर
3	श्री कन्हैया शर्मा	वरिष्ठ उद्यानविज्ञ (उप वन संरक्षक), जे.डी.ए., जयपुर
4	श्री मनफुल विश्णोई	उप वन संरक्षक (उत्तर), जयपुर
5	श्री जनेश सिंह	अतिरिक्त आयुक्त, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर
6	डॉ. हरि प्रसाद	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला जयपुर ग्रामीण
7	श्री जीतेन्द्र सिंह	उप नियंत्रक, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
8	श्री दिनेश शर्मा	अतिरिक्त जिला कलक्टर, जयपुर प्रथम
9	श्रीकृष्ण शर्मा	खनि अभियन्ता, जयपुर
10	श्रीमति गीता चौधरी	जिला परिवहन अधिकारी (ग्रामीण)
11	श्री प्रशान्त पालीवाल	सहायक अभियन्ता, जल संशाधन विभाग, जयपुर
12	श्री अक्षयदीप माथुर	महासचिव, फैंडरेशन ऑफ मार्निंग एसोसियेशन, जयपुर
13	श्री विकास रोहिल्ला	प्रतिनिधि, फैंडरेशन ऑफ मार्निंग एसोसियेशन, जयपुर

सर्वप्रथम खनि अभियन्ता, जयपुर द्वारा अवगत कराया गया कि अवैध खनन/निर्गमन की रोकथाम हेतु की गई कार्यवाही वर्ष 2022-23 में अवैध खनन, निर्गमन एवं भण्डारण के कुल 837 प्रकरण दर्ज कर राशि रु. 508.61 लाख जुर्माना वसूला गया तथा 9 प्रकरणों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। चालू वित्तीय वर्ष में अब तक अवैध खनन, निर्गमन एवं भण्डारण के कार्यालय खनि अभियन्ता, जयपुर के क्षेत्राधिकार में 422 प्रकरण बनाये जाकर शास्ती राशि रु. 321.33 लाख वसूल की गई एवं 19 प्रकरण में संबंधित पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इस प्रकार जयपुर एवं जयपुर (ग्रामीण) जिले में अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण के कुल 351 प्रकरण दर्ज कर राशि रु. 271.39 लाख जुर्माना वसूला गया तथा 15 प्रकरणों में संबंधित पुलिस थानों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

Digitally signed by Shri. Krishan Sharma
Reason: Approved
Date: 2024.02.15 13:34:23 IST

में हरडी हरध्यानपुरा तहसील बस्सी एवं दांतली सिरोली तहसील सांगानेर, जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम से दर्ज भूमि में अवैध खनन एवं पर्यावरण को पहुंचाये गये नुकसान के बाबत माननीय हरित प्राधिकरण भोपाल द्वारा ओ.ए. 74/2019 एवं आई.ए. 113/2019 जगदीश मीणा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.04.2022 में अवैध खनन की रोकथाम हेतु हरडी हरध्यानपुरा तहसील बस्सी में माननीय हरित प्राधिकरण के आदेशों की पालना में आर.ए.सी. की एक प्लान्टून की चैक पोस्ट दिनांक 06.01.2023 से स्थापित की गई जो दिनांक 13.02.2023 तक कार्यरत रही तथा उक्त चैक पोस्ट से काफी हद तक अवैध खनन पर अंकुश रहा। कार्यालय कमाण्डेन्ट, 14वीं बटालियन, आर.ए.सी. पहाडी, डीग के आदेश क्रमांक प. 4(3)डी/आरएसी/14/2020/40-42 दिनांक 21.01.2024 से 31.01.2024 तक लगाई गई। उक्त क्षेत्र में पुनः आर.ए.सी. की एक प्लान्टून लगाये जाने हेतु श्रीमान् आयुक्त पुलिस को पत्रांक 157 दिनांक 6 फरवरी, 2024 से निवेदन किया गया है। जिस पर कार्यालय आयुक्त पुलिस, आयुक्तालय जयपुर से उपस्थित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अवगत कराया कि उक्त क्षेत्र में आर.ए.सी. प्लान्टून लगाने हेतु श्रीमान् पुलिस महानिरीक्षक, कानून व्यवस्था, राजस्थान, जयपुर को अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (द्वितीय), पुलिस आयुक्तालय जयपुर के पत्र क्रमांक 504-05 दिनांक 07.02.2024 से लिखा गया।

अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण की चैकिंग के दौरान ग्राम दयारामपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर में निम्न खातेदारी/सरकारी भूमि के खसरो का निरीक्षण किया जाकर खनिज चेजा पत्थर व क्वार्टज का अवैध स्टॉक जब्त किया गया तथा तहसीलदार बस्सी को खातेदारी भूमि में गैर खातेदारी उपयोग करने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत खातेदारी अधिकार निरस्त किये जाने वास्ते लिखा गया है, जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि संबंधित उप खण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार को खातेदारी निरस्त करने की त्वरित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जावे।

जिला जयपुर (ग्रामीण) के तहसील बस्सी के ग्राम हरडी, हरध्यानपुरा, घाटा, खोखावाला आदि ग्रामों में स्थित पहाडी की जयपुर विकास प्राधिकरण की खातेदारी भूमि एवं सिवायचक भूमि को वन विभाग को सुपुर्द कर वृक्षारोपण हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जावे जिससे आबादी क्षेत्र के मध्य में हरियाली विकसित हो सकेगी तथा अवैध खनन की समस्या से स्थायी निजात मिल सकेगी।

जिला जयपुर की तहसील आंधी के क्षेत्र रायावाला, थली, सानकोटडा में जमवारामगढ वन्य जीव अभ्यारण्य में गैर वानिकी गतिविधियां सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 03.06.2022 से प्रतिबन्धित कर दी गई है। जिसकी पालना में संबंधित खनन पट्टाधारियों को कार्यालय आदेश दिनांक 29.07.2022 से खनन गतिविधियां बन्द करने हेतु पाबन्द कर दिया गया। विभाग द्वारा वर्तमान में 5 बोर्डर होमगार्डस् सानकोटडा, आंधी क्षेत्र में अवैध खनन/निर्गमन की निगरानी हेतु वन विभाग की चैक पोस्ट पर लगाया गया है, जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि वन विभाग भी उक्त क्षेत्रों में निरन्तर निगरानी रखकर की सीसिटिव जोन में अवैध खनन नहीं होना सुनिश्चित करेंगे।

Signature valid

Digitally signed by Shri. Krishan Sharma
Designation: Mining Engineer
Date: 2024.02.15 13:34:23 IST
Reason: Approved

जिला स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (DEIAA) की 691 पत्रावलियों में से 107 पत्रावलियों को परिवेष पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है, शेष पत्रावलियों को स्कैन कर अपलोड की जा रही है। उक्त पत्रावलियां 5 एम बी से ज्यादा की अपलोड नहीं होती हैं जिन्हें कम्प्रेसड कर अपलोड किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय ने जिला स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (DEIAA) की 691 पत्रावलियों को शीघ्र स्कैन कर 20 फरवरी, 2024 तक पूर्ण कर परिवेष पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश प्रदान किये।

अवैध खनन/निर्गमन के विरुद्ध कार्यवाही के दौरान राजकीय कर्मचारियों पर हुये हमलों एवं अवैध खनन के समय में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्टों पर पुलिस विभाग अविलम्ब प्रभावी कार्यवाही कर अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण में संलिप्त व्यक्तियों पर कठोर कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण में जब्त किये गये खनिज की नीलामी हेतु संबंधित न्यायालयों में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नीलामी की अनुमति प्राप्त कर अविलम्ब नीलाम किया जावे जिससे जब्तशुदा खनिज की चोरी नहीं हो सकें।

जिले में अवैध खनन/निर्गमन की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही कर अवैध खनन/निर्गमन नहीं होना सुनिश्चित करावे।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(श्रीकृष्ण शर्मा)

सदस्य सचिव

खनि अभियन्ता जयपुर

क्रमांक:खअ/जय/मीटिंग/नि.स./23/203-215

दिनांक: 15 फरवरी, 2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, जिला कलक्टर जयपुर।
2. पुलिस आयुक्त, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक जयपुर (ग्रामीण) जयपुर।
4. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
5. उप वन संरक्षक जयपुर (उत्तर/दक्षिण/वन्यजीव)।
6. क्षेत्रिय परिवहन अधिकारी जयपुर (उत्तर/दक्षिण)।
7. अधिशाषी अभियन्ता, जल संशाधन विभाग, खण्ड जयपुर।
8. श्री अक्षयदीप माथुर (खनन संगठन प्रतिनिधि) फेडरेशन ऑफ माइनिंग एसोसियेशन ऑफ राजस्थान, 609 अपेक्स मॉल 5 वी मंजिल लाल कोठी टॉक रोड जयपुर।
9. सहायक खनि अभियन्ता कोटपूतली।
10. कार्यक्रम निदेशक, अरावली, प्रथम तल, मंत्रालयिक कैम्पस, इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान परिसर, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

Signature valid

RajKaj Rel
5631069

Digitally signed by Shri. Krishan
Sharma
Designation : Mining Engineer
Date: 2024.02.15 13:34:23 IST
Reason: Approved



**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



D.B. Civil Writ Petition (PIL) No. 19141/2023

Deepak Kumar Jangid Son Of Shri Mohan Lal Jangid, Aged About
31 Years, Resident Of Village Ghata And Post Bainada, Tehsil
Bassi, District Jaipur, Rajasthan.

-----Petitioner

Versus

1. The State Of Rajasthan, Through Chief Secretary, Government Of Rajasthan, Government Secretariat, Jaipur, Rajasthan.
2. The State Of Rajasthan, Through Principal Secretary, Mines Department, Government Of Rajasthan, Secretariat, Jaipur, Rajasthan.
3. The State Of Rajasthan, Through Its Secretary, Department Of Forest, Environment And Climate Change, Secretariat, Janpath, C-Scheme, Jaipur, Rajasthan.
4. The District Collector, District Jaipur, Rajasthan.
5. The Sub Divisional Officer, Tehsil- Bassi, District Jaipur, Rajasthan.
6. The Commissioner Of Police, Jaipur Metropolitan, Jaipur, Rajasthan.
7. The Assistance Commissioner Of Police, Bassi, Jaipur, Rajasthan.
8. The Station House Officer, Police Station Kanota, Jaipur (East).

-----Respondents

For Petitioner(s) : Mr. Sanjay Bharti Advocate.
For Respondent(s) : Major R.P. Singh, Additional Advocate
General through Video Conferencing.

**HON'BLE THE ACTING CHIEF JUSTICE MR. MANINDRA MOHAN SHRIVASTAVA
HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA**

Order

17/01/2024



1. In view of the statement made on affidavit that without allotment of mining lease to any person, illegal mining is going on over the land comprising in Khasra Nos.241 and 242 which is recorded in the Revenue record as Gair Mumkin Pahad and Pasture and situated at Village Ghata, and Post Bainada, Tehsil Bassi, district Jaipur and despite representation sent to the Director, Mines Department on 30.09.2023, we are inclined to direct the Director, Mines Department, Rajasthan to cause an enquiry made by constituting a team including the mining Officer of the concerned area. The enquiry shall be made and report shall be submitted before the Director, Mines Department within a period of two months from the date of receipt of certified copy of this order. Thereafter, the Director, Mines Department shall take necessary steps in case the allegations of illegal mining are found correct.

2. This petition, at this stage, is disposed off with liberty to revive in case it is found that despite illegal mining having been found, action is not being taken.

(SHUBHA MEHTA),J

(MANINDRA MOHAN SHRIVASTAVA),ACTING CJ

SANJAY KUMAWAT-53